

3

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय

©

Admcy of 2005



सत्यमेव जयते

# भारतीय वन अधिनियम, 1927

(1927 का अधिनियम संख्यांक 16)

[1 फरवरी, 1990 को यथाविद्यमान]

# The Indian Forest Act, 1927

(ACT No. 16 OF 1927)

[As on the 1st February, 1990]

*Jk*  
(जितेश कुमार/JITESH KUMAR)  
तकनीकी अधिकारी  
Technical Officer (Forestry) Gr.-I  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Min. of Environment, Forest and Climate Change  
भारत सरकार, नई दिल्ली  
Govt. of India, New Delhi

1990

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक,  
भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य: (देश में) ₹ 3.00 (विदेश में) \$ 0.23

**EARRDIS**  
(Correction Unit)  
Acc. No. 1974 (1)

39

## PREFACE

This is a diglot edition of the Indian Forest Act, 1927 as on the 1st June, 1978 containing the authoritative Hindi text thereof along with its English text. The Hindi text of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 47, Vol. IX, dated 26th July, 1973 on pages 803 to 830.

The Hindi text was prepared by the Official Language (Legislative) Commission and it was published under the authority of the President under section 5(1) of the Official Languages Act, 1963 and on such publication, it became the authoritative text of that Act in Hindi.

NEW DELHI ;  
1ST JUNE, 1978

S. HARIHAR IYER,  
*Secretary to the Government of India.*

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| First Edition  | .. 1st June, 1978                    |
| First Reprint  | .. 1st September, 1984 4,000 Copies. |
| Second Reprint | .. 1st February, 1990 3,200 Copies.  |

प्राक्कथन

यह 1 जून, 1978 को यथाविद्यमान भारतीय वन अधिनियम, 1927 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 26 जुलाई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 47, खण्ड IX में पृष्ठ 803 से 830 में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है।

नई दिल्ली ;

1 जून, 1978

शंकर हरिसर भट्टर  
सचिव, भारत सरकार।

- पहला संस्करण : 1 जून, 1978
- पहला पुनर्मुद्रण : 1 सितंबर, 1984 4,000 प्रतियां
- दूसरा पुनर्मुद्रण : 1 फरवरी, 1990 3,200 प्रतियां

LIST OF AMENDING ACTS AND ADAPTATION ORDERS

1. The Indian Forest (Amendment) Act, 1930 (26 of 1930).
2. The Indian Forest (Amendment) Act, 1933 (3 of 1933).
3. The Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937.
4. The Repealing and Amending Act, 1947 (2 of 1948).
5. The Indian Independence (Adaptation of Central Acts and Ordinances) Order, 1948.
6. The Adaptation of Laws Order, 1950.
7. The Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1956.

LIST OF ABBREVIATIONS USED

|             |     |  |
|-------------|-----|--|
| A. O. 1937  | for | Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937. |
| A. O. 1950  | "   | Adaptation of Laws Order, 1950.                              |
| G. G. in C. | "   | Governor General in Council.                                 |
| Govt.       | "   | Government.  |
| Ins.        | "   | Inserted.  |
| L. G.       | "   | Local Government.  |
| P.          | "   | Page.  |
| Para.       | "   | Paragraph.   |
| Pt.         | "   | Part.  |
| Reg.        | "   | Regulation.  |
| Rep.        | "   | Repealed.  |
| S.          | "   | Section.   |
| Sch.        | "   | Schedule.  |
| Subs.       | "   | Substituted.   |

संशोधन अधिनियमों और अनुकूलन आदेशों की सूची

1. भारतीय वन-(संशोधन) अधिनियम, 1930 (1930 का 26)।
2. भारतीय वन (संशोधन) अधिनियम, 1933 (1933 का 3)।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937।
4. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1947 (1948 का 2)।
5. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950।
7. विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956।

संशोधक

सं० .....

तथ्यांक।

# THE INDIAN FOREST ACT, 1927

## ARRANGEMENT OF SECTIONS

### CHAPTER I

### PRELIMINARY

#### SECTIONS

1. Short title and extent.
2. Interpretation clause.

### CHAPTER II

### OF RESERVED FORESTS

3. Power to reserve forests.
4. Notification by State Government.
5. Bar of accrual of forest-rights.
6. Proclamation by Forest Settlement-officer.
7. Inquiry by Forest Settlement-officer.
8. Powers of Forest Settlement-officer.
9. Extinction of rights.
10. Treatment of claims relating to practice of shifting cultivation.
11. Power to acquire land over which right is claimed.
12. Order on claims to rights of pasture or to forest-produce.
13. Record to be made by Forest Settlement-officer.
14. Record where he admits claim.
15. Exercise of rights admitted.
16. Commutation of rights.
17. Appeal from order passed under section 11, section 12, section 15 or section 16.
18. Appeal under section 17.
19. Pleaders.
20. Notification declaring forest reserved.
21. Publication of translation of such notification in neighbourhood of forest.
22. Power to revise arrangement made under section 15 or section 18.
23. No right acquired over reserved forest, except as here provided.
24. Rights not to be alienated without sanction.
25. Power to stop ways and water-courses in reserved forests.
26. Acts prohibited in such forests.
27. Power to declare forest no longer reserved.

# भारतीय वन अधिनियम 1927

## धाराओं का क्रम

### अध्याय 1

### प्रारम्भिक

#### धाराएं

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. संक्षिप्त नाम और विस्तार | पृष्ठ |
| 2. निर्वाचन खंड             | 1     |

### अध्याय 2

### आरक्षित वनों के संबंध में

- |   |   |
|---|---|
| 3. वनों को आरक्षित करने की शक्ति  | 2 |
| 4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना  | 2 |
| 5. वन अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन   | 3 |
| 6. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा  | 3 |
| 7. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच  | 3 |
| 8. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियां  | 3 |
| 9. अधिकारों का निर्वापन   | 3 |
| 10. स्थानान्तरी खेती की पद्धति संबंधी दावों से बरतना  | 4 |
| 11. ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है                      | 4 |
| 12. चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों के दावों पर आदेश  | 4 |
| 13. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेख                                 | 5 |
| 14. जहां वह दावा मंजूर करता है वहां अभिलेख  | 5 |
| 15. मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग   | 5 |
| 16. अधिकारों का हस्तांतरण   | 5 |
| 17. धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील                 | 5 |
| 18. धारा 17 के अधीन अपील  | 5 |
| 19. प्लीडर  | 6 |
| 20. वन को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना   | 6 |
| 21. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आसपास में प्रकाशन                                       | 6 |
| 22. धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए प्रबंध का पुनरीक्षण करने की शक्ति                     | 6 |
| 23. आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबोधित के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा | 6 |
| 24. मंजूरी के बिना अधिकारों का अन्य संक्रामण न किया जाएगा                                   | 6 |
| 25. आरक्षित वनों के पथों और जल-मार्गों को बन्द करने की शक्ति                                | 7 |
| 26. ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य   | 7 |
| 27. यह घोषित करने की शक्ति कि वह आरक्षित वन नहीं रहा है                                     | 7 |

45

ii

*Arrangement of sections*

CHAPTER III  
OF VILLAGE-FORESTS

SECTIONS

28. Formation of village-forests.

CHAPTER IV

OF PROTECTED FORESTS

29. Protected forests.  
30. Power to issue notification reserving trees, etc.  
31. Publication of translation of such notification in neighbourhood.  
32. Power to make rules for protected forests.  
33. Penalties for acts in contravention of notification under section 30 or of rules under section 32.  
34. Nothing in this Chapter to prohibit acts done in certain cases.

CHAPTER V

OF THE CONTROL OVER FORESTS AND LANDS NOT BEING THE PROPERTY OF GOVERNMENT

35. Protection of forests for special purposes.  
36. Power to assume management of forests.  
37. Expropriation of forests in certain cases.  
38. Protection of forests at request of owners.

CHAPTER VI

OF THE DUTY ON TIMBER AND OTHER FOREST-PRODUCE

39. Power to impose duty on timber and other forest-produce.  
40. Limit not to apply to purchase-money or royalty.

CHAPTER VII

OF THE CONTROL OF TIMBER AND OTHER FOREST-PRODUCE IN TRANSIT

41. Power to make rules to regulate transit of forest-produce.  
41A. Powers of Central Government as to movements of timber across customs frontiers.  
42. Penalty for breach of rules made under section 41.  
43. Government and Forest-officers not liable for damage to forest-produce at depot.  
44. All persons bound to aid in case of accident at depot.



धाराओं का क्रम

अध्याय 3

ग्राम वनों के संबंध में

धाराएं

28. ग्राम वनों का निर्माण

पृष्ठ

8

अध्याय 4

संरक्षित वनों के संबंध में

29. संरक्षित वन

30. वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति

31. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का आसपास में प्रकाशन

32. संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति

33. धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्तियां

34. इस अध्याय की कोई बात कतिपय मामलों में किए गए कार्यों का प्रतिषेध नहीं करेगी

8

9

9

9

10

10

अध्याय 5

जो वन और भूमियां सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं उन पर नियन्त्रण के संबंध में

35. विशेष प्रयोजनों के लिए वनों का संरक्षण

36. वनों का प्रबंध संभालने की शक्ति

37. कुछ अवस्थाओं में वनों का स्वत्वहरण

38. स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण

10

11

11

11

अध्याय 6

इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क के संबंध में

39. इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति

40. सीमा संबंधी उपबंध क्रय-धन या स्वामिस्व के संबंध में लागू नहीं होगा

11

12

अध्याय 7

अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी और वन-उपज के नियन्त्रण के संबंध में

41. वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति

41क. सीमा-शुल्क सीमान्तों के पार इमारती लकड़ी के स्थानान्तरण विषयक केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

42. धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के भंग के लिए शास्ति

43. डिपो में रखी वन-उपज को हुए नुकसान के लिए सरकार या वन अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे

44. डिपो पर दुर्घटना की अवस्था में सब व्यक्ति सहायता करने के लिए बाबंद होंगे

12

13

13

13

13

CP

CHAPTER VIII

OF THE COLLECTION OF DRIFT AND STRANDED TIMBER

SECTIONS

45. Certain kinds of timber to be deemed property of Government until title thereto proved, and may be collected accordingly.
46. Notice to claimants of drift timber.
47. Procedure of claim preferred to such timber.
48. Disposal of unclaimed timber.
49. Government and its officers not liable for damage to such timber.
50. Payments to be made by claimant before timber is delivered to him.
51. Power to make rules and prescribe penalties.

CHAPTER IX

PENALTIES AND PROCEDURE

52. Seizure of property liable to confiscation.
53. Power to release property seized under section 52.
54. Procedure thereupon.
55. Forest-produce, tools, etc., when liable to confiscation.
56. Disposal, on conclusion of trial for forest-offence, of produce in respect of which it was committed.
57. Procedure when offender not known, or cannot be found.
58. Procedure as to perishable property seized under section 52.
59. Appeal from orders under section 55, section 56 or section 57.
60. Property when to vest in Government.
61. Saving of power to release property seized.
62. Punishment for wrongful seizure.
63. Penalty for counterfeiting or defacing marks on trees and timber and for altering boundary-marks.
64. Power to arrest without warrant.
65. Power to release on a bond a person arrested.
66. Power to prevent commission of offence.
67. Power to try offences summarily.
68. Power to compound offences.
69. Presumption that forest-produce belongs to Government.

CHAPTER X

CATTLE-TRESPASS

70. Cattle-trespass Act, 1871, to apply.
71. Power to alter fines fixed under that Act.

बहुते हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण के संबंध में

धाराएं

|  |       |
|--|-------|
| 45. कतिपय प्रकार की इमारती लकड़ी, जब तक कि उसके बारे में हक साबित नहीं कर दिया जाता, सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी और तदनुसार संगृहीत की जा सकेगी | पृष्ठ |
| 46. बहुते हुई इमारती लकड़ी के दावेदारों को सूचना   | 14    |
| 47. ऐसी इमारती लकड़ी पर किए गए दावे के बारे में प्रक्रिया  | 14    |
| 48. जिसका दावा नहीं किया गया उस इमारती लकड़ी का व्ययन  | 14    |
| 49. ऐसी इमारती लकड़ी को हुए नुकसान के लिए सरकार और उसके अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे   | 14    |
| 50. इमारती लकड़ी के परिदान के पूर्व दावेदार द्वारा की जाने वाली अदायगी   | 14    |
| 51. नियम बनाने और शास्तियां विहित करने की शक्ति  | 15    |
|  | 15    |

शास्तियां और प्रक्रिया

|   |    |
|---|----|
| 52. अधिहरणीय सम्पत्ति का अभिग्रहण   | 15 |
| 53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति  | 15 |
| 54. तदुपरि प्रक्रिया  | 15 |
| 55. वन-उपज, औजार, आदि कब अधिहरणीय होंगे   | 15 |
| 56. वन-अपराध के लिए हुए विचारण की समाप्ति पर, उस वन उपज का व्ययन जिसके संबंध में यह अपराध हुआ है                    | 15 |
| 57. जब अपराधी अज्ञात है, या पाया न जा सके, तब प्रक्रिया   | 15 |
| 58. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत विनश्वर सम्पत्ति विषयक प्रक्रिया   | 16 |
| 59. धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन आदेशों की अपील  | 16 |
| 60. सम्पत्ति कब सरकार में निहित होगी  | 16 |
| 61. अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति की व्यावृत्ति  | 16 |
| 62. दोषपूर्ण अभिग्रहण के लिए दण्ड   | 16 |
| 63. वृक्षों और इमारती लकड़ी पर चिन्हों के कूटकरण करने और उन्हें विरूपित करने और सीमा चिह्नों को बदलने के लिए शास्ति | 16 |
| 64. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति  | 16 |
| 65. किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने की शक्ति  | 17 |
| 66. अपराधों का किया जाना निवारित करने की शक्ति  | 17 |
| 67. अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति   | 17 |
| 68. अपराधों का शमन करने की शक्ति  | 17 |
| 69. यह उपधारणा कि वन-उपज सरकार की है  | 17 |
|   | 17 |

पशु अतिचार

|   |    |
|---|----|
| 70. पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का लागू होना               |    |
| 71. उस अधिनियम के अधीन नियत जुर्मानों को बदलने की शक्ति | 18 |
|   | 18 |

*Arrangement of sections*CHAPTER XI  
OF FOREST-OFFICERS

## SECTIONS

72. State Government may invest Forest-officers with certain powers.
73. Forest-officers deemed public servants.
74. Indemnity for acts done in good faith.
75. Forest-officers not to trade.

CHAPTER XII  
SUBSIDIARY RULES

76. Additional powers to make rules.
77. Penalties for breach of rules.
78. Rules when to have force of law.

CHAPTER XIII  
MISCELLANEOUS

79. Persons bound to assist Forest-officers and Police-officers.
80. Management of forests the joint property of Government and other persons.
81. Failure to perform service for which a share in produce of Government forest is enjoyed
82. Recovery of money due to Government.
83. Lien on forest-produce for such money.
84. Land required under this Act to be deemed to be needed for a public purpose under the Land Acquisition Act, 1894.
85. Recovery of penalties due under bond.
- 85A. Saving for rights of Central Government.
86. [Repealed.]

THE SCHEDULE.—[Repealed.]

धाराओं का क्रम

अध्याय 11

वन अधिकारियों के संबंध में

| धाराएं  | पृष्ठ |
|---|-------|
| 72. राज्य सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित कर सकेगी | 18    |
| 73. वन अधिकारियों को लोक सेवक समझा जाएगा                          | 18    |
| 74. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए परित्राण                   | 18    |
| 75. वन अधिकारी व्यापार नहीं करेंगे                                | 18    |

अध्याय 12

समतुल्यता निबन्ध

|   |    |
|---|----|
| 76. नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियां           | 19 |
| 77. नियमों के भंग के लिए शास्तियां            | 19 |
| 78. नियमों को कानूनविधि का बल प्राप्त होता है | 19 |

अध्याय 13

प्रकीर्ण

|   |    |
|---|----|
| 79. वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सहायता देने के लिए आबद्ध व्यक्ति   | 19 |
| 80. उन वनों का प्रबन्ध जो सरकार और अन्य व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति है   | 20 |
| 81. ऐसी सेवा करने में असफलता जिनके लिए सरकारी वन में की उपज के किसी अंश का उपभोग किया जाता है                                     | 20 |
| 82. सरकार को शोध्य धन की वसूली  | 20 |
| 83. ऐसे धन के लिए वन-उपज पर धारणाधिकार  | 20 |
| 84. इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित भूमि की बाबत यह समझा जाना कि उसकी आवश्यकता भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन लोक प्रयोजन के लिए है | 21 |
| 85. बंधपत्र के अधीन शोध्य शास्तियों की वसूली  | 21 |
| 85क. केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के लिए व्यावृत्ति  | 21 |
| 86. [निरसित ]   | 21 |

अनुसूची—[निरसित ।]

(57)

# THE INDIAN FOREST ACT, 1927

(ACT No. 16 OF 1927)

[21st September, 1927]

An Act to consolidate the law relating to forests, the transit of forest-produce and the duty leviable on timber and other forest-produce.

WHEREAS it is expedient to consolidate the law relating to forests, the transit of forest-produce and the duty leviable on timber and other forest-produce; It is hereby enacted as follows :—

## CHAPTER I

### PRELIMINARY

1. Short title and extent—(1) This Act may be called the Indian Forest Act, 1927.

(2) It extends to the whole of India except the territories which, immediately before the 1st November, 1956, were comprised in Part B States.

(3) It applies to the territories which, immediately before the 1st November, 1956, were comprised in the States of Bihar, Bombay, Coorg, Delhi, Madhya Pradesh, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal; but the Government of any State may by notification in the Official Gazette bring this Act into force<sup>2</sup> in the whole or any specified part of that State to which this Act extends and where it is not in force.]

2. Interpretation clause—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(1) "cattle" includes elephants, camels, buffaloes, horses, mares, geldings, ponies, colts, fillies, mules, asses, pigs, rams, ewes, sheep, lambs, goats and kids;

(2) "Forest-officer" means any person whom<sup>3</sup> \*\*\* the State Government or any office empowered by<sup>3</sup> \*\*\* the State Government in this behalf, may appoint to carry out all or any of the purposes of this Act or to do anything required by this Act or any rule made thereunder to be done by a Forest-officer;

1. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1956, for sub-sections (2) and (3).

2. This Act has been declared to be in force in the Khondmals District by the Khondmals Laws Regulation, 1936 (4 of 1936), s. 3 and Sch; and in the Angul District by the Angul Laws Regulation, 1936 (5 of 1936), s. 3 and Sch.

This Act has been extended to :—

(1) Berar (partially) by the Berar Laws Act, 1941 (4 of 1941).

(2) The Province of Coorg, see Coorg Gazette, 1930, Pt. I p. 94.

(3) The Delhi Province, see Gazette of India, 1933, Pt. IIA, p. 293.

(4) The whole of Madhya Pradesh, by M.P. Act 23 of 1958.

(5) Dadra and Nagar Haveli, by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. I (w.e.f. 1-7-1965).

(6) Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. (w.e.f. 1-10-1963).

(7) Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch.; and

(8) Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, by the Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch. (w.e.f. 1-10-1967).

3. The words "the G.G. in C., or" omitted by the A.O. 1937.

# भारतीय वन अधिनियम, 1927

(1927 का अधिनियम संख्यांक 16)

[21 सितम्बर, 1927]

वनो, वन-उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से संबद्ध विधि के समेकन के लिए अधिनियम

वनो, वन-उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से संबद्ध विधि का समेकन करना समीचीन है; अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन अधिनियम, 1927 है।

[(2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों को छोड़कर, जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे, सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उन राज्यक्षेत्रों को लागू है जो प्रथम नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व बिहार, मुम्बई, कुर्ग, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट थे, किन्तु किसी भी राज्य की सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को उस पूर्ण राज्य में या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में, जिस पर इसका विस्तार है और जहाँ पर यह प्रवर्तन में नहीं है, प्रवर्तन में ला सकेगी।]

2. निर्वचन शब्द—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ से विरुद्ध न हो—

(1) "पशु" के अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, खस्ती पशु, टट्टू, बछड़े, बछड़ियाँ, खच्चर, गधे, सूअर मेढ़े, मेढ़ियाँ, भेड़ें, भेड़ने, बकरियाँ और बकरियों के भेड़ने हैं;

(2) "वन अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे <sup>3\*\*\*</sup> राज्य सरकार या <sup>3\*\*\*</sup> राज्य सरकार, द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के सब या किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन वन अधिकारी द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित कोई बात करने के लिए नियुक्त करें;

1. विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा उपधारा (2) और (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।  
2. इस अधिनियम को खोण्डमाल लाज रेग्यूलेशन 1936, (1936 का 4) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा खोण्डमाल जिले में; और आंगुल लाज रेग्यूलेशन, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में प्रवृत्त घोषित किया गया है।  
इस अधिनियम का विस्तार निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है :—

- (1) बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा (भाषतः) बरार पर;
- (2) कोडगु प्रान्त पर, देखिए कोडगु राजपत्र, 1930 (अंग्रेजी), भाग 1, पृष्ठ 94;
- (3) दिल्ली प्रान्त पर, देखिए भारत का राजपत्र, 1933 (अंग्रेजी), भाग 2क, पृष्ठ 293;
- (4) 1958 के मध्य प्रदेश ऐक्ट सं० 23 द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर;
- (5) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर;
- (6) 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 तथा अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पाण्डिचेरी पर;
- (7) 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर; और
- (8) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा (1-10-1967) से लक्षद्वीप, मिनिकोय और भ्रमीनदीव द्वीप पर।

3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "अपरिषद् गवर्नर जनरल, या" शब्दों का लोप किया गया।

53

(3) "forest-offence" means an offence punishable under this Act or under any rule made thereunder;

(4) "forest-produce" includes—

(a) the following whether found in, or brought from, a forest or not, that is to say :—

timber, charcoal, caoutchouc, catechu, wood-oil, resin, natural varnish, bark lac, mahua flowers, mahua seeds, [kuth] and myrabolams, and

(b) the following when found in, or brought from a forest, that is to say :—

(i) trees and leaves, flowers and fruits, and all other parts or produce not hereinbefore mentioned, of trees,

(ii) plants not being trees (including grass, creepers, reeds and moss), and all parts or produce of such plants;

~~(iii) wild animals and skins, tusks, horns, bones, silk cocoons, honey and wax, and all other parts or produce of animals, and~~

(iv) peat, surface soil, rock, and minerals (including lime-stone, laterite, mineral oils, and all products of mines or quarries);

<sup>2</sup>[(4A) "owner" includes a Court of Wards in respect of property under the superintendence or charge of such Court;]

(5) "river" includes any stream, canal, creek or other channels, natural or artificial;

(6) "timber" includes trees when they have fallen or have been felled, and all wood whether cut up or fashioned or hollowed out for any purpose or not; and

(7) "tree" includes palms, bamboos, skumps, brush-wood and canes.

## CHAPTER II

### OF RESERVED FORESTS

3. Power to reserve forests—The State Government may constitute any forest-land or waste-land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest-produce of which the Government is entitled, a reserved forest in the manner hereinafter provided.

4. Notification by State Government (1). Whenever it has been decided to constitute any land a reserved forest, the State Government shall issue a notification in the Official Gazette—

(a) declaring that it has been decided to constitute such land a reserved forest;

(b) specifying, as nearly as possible, the situation and limits of such land; and

1. Ins. by Act 26 of 1930, s. 2.

2. Ins. by Act 3 of 1933, s. 2.



(3) "वन अपराध" से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है ;

(4) "वन-उपज" के अन्तर्गत—

(क) निम्नलिखित वस्तुएं आती हैं अर्थात्—इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला कुचुक, बंर, लकड़ी का तेल, राल, प्राकृतिक वारनिश, छाल, लाख, महुआ के फूल, महुआ के बीज, [कुश] और हरड़, भले ही वे वन में पाई या वन से लाई गई हों या नहीं लाई गई हों, और

(ख) निम्नलिखित वस्तुएं, उस सूरत में आती हैं जिसमें कि वे वन में पाई जाती हैं या वन से लाई जाती हैं, अर्थात्—

(i) वृक्ष और पत्ते, फूल और फल, और बृक्षों के इसमें इसके पूर्व अवर्णित सब अन्य भाग और उपज,

(ii) (भास, बेलें, तरकुल और काई सहित) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और ऐसे पौधों के सब भाग और उपज,

(iii) पशु और खाल, हाथी दात, सांग, हड्डियां, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम, तथा पशुओं के सब अन्य भाग या उत्पाद,

(iv) पीट, सतही मिट्टी, चट्टान और (चूना-पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल और खानों और खदानों की सब पैदावार सहित) खनिज;

[(4क) "स्वामी" के अन्तर्गत, ऐसी सम्पत्ति के बारे में, प्रतिपाल्य अधिकरण आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भारसाधन में है;]

(5) "नदी" के अन्तर्गत कोई सरिता, नहर, सकरी खाड़ी या अन्य प्राकृतिक या कृत्रिम जलसरणी है;

(6) "इमारती लकड़ी" के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जब कि वे गिर गए हों या गिराए गए हों, और सब प्रकार की लकड़ी है चाहे वह किसी प्रयोजन के लिए काटी, गढ़ी या खोखली की गई हो या न की गई हो; और

(7) "वृक्ष" के अन्तर्गत ताड़, बांस, ठूठ, झाड़-झांखड़ और बेंत आते हैं।

अध्याय 2

आरक्षित वनों के संबंध में

3. वनों को आरक्षित करने की शक्ति—राज्य सरकार ऐसी किसी वन भूमि या बंजर-भूमि को, जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के साम्प्रतिक अधिकार हैं, या जिसकी पूरी वन-उपज या उस उपज के किसी भाग की, सरकार हकदार है; इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना—(1) जब कभी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया हो, तब राज्य सरकार—

(क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए,

(ख) ऐसी भूमि की स्थिति, और सीमाओं को यथासंभव विनिदिष्ट करने वाली, तथा

1. 1930 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।  
2. 1933 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

87

(c) appointing an officer (hereinafter called "the Forest Settlement-officer") to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within such limits or in or over any forest-produce, and to deal with the same as provided in this Chapter.

*Explanation.*—For the purpose of clause (b), it shall be sufficient to describe the limits of the forest by roads, rivers, ridges or other well-known or readily intelligible boundaries.

(2) The officer appointed under clause (c) of sub-section (1) shall ordinarily be a person not holding any forest-office except that of Forest Settlement-officer.

(3) Nothing in this section shall prevent the State Government from appointing any number of officers not exceeding three, not more than one of whom shall be a person holding any forest-office except as aforesaid, to perform the duties of a Forest Settlement-officer under this Act.

5. **Bar of accrual of forest rights**—After the issue of a notification under section 4, no right shall be acquired in or over the land comprised in such notification, except by succession or under a grant or contract in writing made or entered into by or on behalf of the Government or some person in whom such right was vested when the notification was issued; and no fresh clearings for cultivation or for any other purpose shall be made in such land except in accordance with such rules as may be made by the State Government in this behalf.

6. **Proclamation by Forest Settlement-officer**—When a notification has been issued under section 4, the Forest Settlement-officer shall publish in the local vernacular in every town and village in the neighbourhood of the land comprised therein, a proclamation—

- (a) specifying, as nearly as possible, the situation and limits of the proposed forest;
- (b) explaining the consequences which, as hereinafter provided, will ensue on the reservation of such forest; and
- (c) fixing a period of not less than three months from the date of such proclamation, and requiring every person claiming any right mentioned in section 4 or section 5 within such period either to present to the Forest Settlement-officer a written notice specifying or to appear before him and state, the nature of such right and the amount and particulars of the compensation (if any) claimed in respect thereof.

7. **Inquiry by Forest Settlement-officer**—The Forest Settlement-officer shall take down in writing all statements made under section 6, and shall at some convenient place inquire into all claims duly preferred under that section, and the existence of any rights mentioned in section 4 or section 5 and not claimed under section 6: so far as the same may be ascertainable from the records of Government and the evidence of any persons likely to be acquainted with the same.

8. **Powers of Forest Settlement-officers**—For the purpose of such inquiry, the Forest Settlement-officer may exercise the following powers, that is to say:—

- (a) power to enter, by himself or any officer authorised by him for the purpose, upon any land, and to survey, demarcate and make a map of the same; and
- (b) the powers of a Civil Court in the trial of suits.

(ग) ऐसी सीमाओं के अन्दर समाविष्ट किसी भूमि में या उस भूमि पर या किसी वन-उपज में या उस उपज पर उन किन्हीं अधिकारों की, जिनकी बाबत यह अभिकथित है कि वे किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हैं, विद्यमानता, स्वरूप और विस्तार की जांच और अवधारण करने के लिए और उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही करने के लिए, जैसी इस अध्याय में उपबंधित है, अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करने वाली, अधिसूचना, राजपत्र में निकालेगी।

**स्पष्टीकरण—**खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाएं, पथों, नदियों, टीलों या अन्य सुविदित या सहज समझी जाने वाली सीमाओं द्वारा वर्णित कर दी जाएं।

(2) उपधारा (i) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी मामूली तौर पर ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय कोई वन पद धारण नहीं कर रखा है।

(3) इस धारा को कोई बाद राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का प्रालन करने के लिए तीन से अनधिक किसी संख्या में अधिकारियों को, जिनमें से एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति होगा, जो पूर्वोक्त रूप में के सिवाय कोई वन पद धारण करता है, नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी।

**5. वन अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन—**धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने के पश्चात् ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में या उस भूमि पर कोई अधिकार, उत्तराधिकारी के जरिए या सरकार द्वारा या उसकी ओर से या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिए गए अनुदान या की गई संविदा के अधीन अर्जित होने के सिवाय अर्जित न होगा और खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नई कटाई-सफाई ऐसे नियमों के अनुसार किए जाने के सिवाय न की जाएगी जैसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं।

**6. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा—**जबकि धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाली जा चुकी है, तब वन व्यवस्थापन अधिकारी—

(क) प्रस्थापित वन की स्थिति और सीमाओं को यथासंभव विनिर्दिष्ट करने वाली;

(ख) उन परिणामों की, जो ऐसे वन के आरक्षण पर इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित रूप में सुनिश्चित होंगे, व्याख्या करने वाली; और

(ग) ऐसी उद्घोषणा की तारीख से तीन मास से अत्यून कालावधि नियत करने वाली और धारा 4 या धारा 5 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष, ऐसे अधिकार के स्वरूप को और उसके संबंध में दावाकृत प्रतिकर के (यदि कोई हो) परिमाण और विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालावधि के अन्दर उपस्थित करे, या उपस्थित होकर कथन करे,

उद्घोषणा उस भूमि के, जो उस उद्घोषणा में समाविष्ट है, पड़ोस के हर नगर और ग्राम में स्थानीय जनभाषा में प्रकाशित करेगा।

**7. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जांच—**वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन दिए गए सब कथनों को लिखेगा तथा उस धारा के अधीन सम्यक् रूप से किए गए सब दावों की और उन अधिकारों के अस्तित्व की, जो धारा 4 या धारा 5 में वर्णित हैं, और जिनके लिए दावा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है, जांच किसी सुविधाजनक स्थान पर वहां तक करेगा, जहां तक कि वे सरकार के अभिलेखों और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के, जिनकी बाबत यह संभाव्यता है कि वे उनसे परिचित होंगे, साक्ष्य से अभिनिरूपेय हैं।

**8. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियां—**ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए वन व्यवस्थापन अधिकारी निम्नलिखित शक्तियां प्रयुक्त कर सकेगा, अर्थात्—

(क) किसी भूमि पर स्वयं या इस प्रयोजन के लिए अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, उसे अभ्यंजित करने और उसका नक्शा बनाने की शक्ति, और

(ख)वादों के विचारण में सिविल न्यायालय की शक्तियां।

9. **Extinction of rights**—Rights in respect of which no claim has been preferred under section 6, and of the existence of which no knowledge has been acquired by inquiry under section 7, shall be extinguished, unless before the notification under section 20 is published, the person claiming them satisfies the Forest Settlement-officer that he had sufficient cause for not preferring such claim within the period fixed under section 6.

10. **Treatment of claims relating to practice of shifting cultivation**—(1) In the case of a claim relating to the practice of shifting cultivation, the Forest Settlement-officer shall record a statement setting forth the particulars of the claim and of any local rule or order under which the practice is allowed or regulated, and submit the statement to the State Government, together with his opinion as to whether the practice should be permitted or prohibited wholly or in part.

(2) On receipt of the statement and opinion, the State Government may make an order permitting or prohibiting the practice wholly or in part.

(3) If such practice is permitted wholly or in part, the Forest Settlement-officer may arrange for its exercise—

(a) by altering the limits of the land under settlement so as to exclude land of sufficient extent, of a suitable kind, and in a locality reasonably convenient for the purposes of the claimants, or

(b) by causing certain portions of the land under settlement to be separately demarcated, and giving permission to the claimants to practice shifting cultivation therein under such conditions as he may prescribe.

(4) All arrangements made under sub-section (3) shall be subject to the previous sanction to the State Government.

(5) The practice of shifting cultivation shall in all cases be deemed a privilege subject to control, restriction and abolition by the State Government.

11. **Power to acquire land over which right is claimed**—(1) In the case of a claim to a right in or over any land, other than a right-of way or right of pasture, or a right to forest-produce or a water-course, the Forest Settlement-officer shall pass an order admitting or rejecting the same in whole or in part.

(2) If such claim is admitted in whole or in part, the Forest Settlement-officer shall either—

(i) exclude such land from the limits of the proposed forest; or

(ii) come to an agreement with the owner thereof for the surrender of his rights; or

(iii) proceed to acquire such land in the manner provided by the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894).

(3) For the purpose of so acquiring such land—

(a) the Forest Settlement-officer shall be deemed to be a Collector proceeding under the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894),

(b) the claimant shall be deemed to be a person interested and appearing before him in pursuance of a notice given under section 9 of that Act;

(c) the provisions of the preceding sections of that Act shall be deemed to have been complied with; and

9. अधिकारों का निर्वापन—वे अधिकार, जिनका दावा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है, और जिनके अस्तित्व की कोई जानकारी धारा 7 के अधीन की गई जांच द्वारा नहीं मिली है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाला व्यक्ति, वन व्यवस्थापन अधिकारी का यह समाधान कि धारा 6 के अधीन नियत कालावधि के अन्दर ऐसा दावा न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने से पूर्व नहीं कर देता, निर्वापित हो जायेगा।

10. स्थानान्तरी खेती की पद्धति सम्बन्धी दावों से बरतना—वन (1) व्यवस्थापन अधिकारी स्थानान्तरी खेती की पद्धति से संबंधित दावे की अवस्था में, दावे की और किसी स्थानीय नियम या आदेश की, जिसके अधीन वह पद्धति अनुज्ञात या विनियमित होती है, विधिपूर्वक को देने वाला कथन अभिलिखित करेगा, और वह कथन अपनी इस राय के साथ कि क्या पद्धति पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात या प्रतिषिद्ध होनी चाहिए, राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) राज्य सरकार उस कथन और राय के प्राप्त होने पर उस पद्धति को पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात या निषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी।

(3) यदि ऐसी पद्धति पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात की जाती है, तो वन व्यवस्थापन अधिकारी,—

(क) बन्दोवस्त वाली भूमि की सीमाओं को इस प्रकार बदल कर कि पर्याप्त विस्तार वाली, पर्याप्त प्रकार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में भी भूमि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित हो जाए, या

(ख) बन्दोवस्त वाली भूमि के कतिपय प्रभागों को पृथकतः अभ्यंकित करा कर और उसमें ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह विहित करे, स्थानान्तरी खेती की पद्धति के लिए अनुज्ञा दावेदारों को देकर,

उसके प्रयोग का प्रबंध कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किए गए सब इंतजाम राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होंगे।

(5) सभी मामलों में स्थानान्तरी खेती की पद्धति के बारे में यह समझा जाएगा कि यह ऐसा विशेषाधिकार है जिसे राज्य सरकार नियंत्रित, निर्बन्धित और उत्साहित कर सकती है।

11. ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है—(1) वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि में या पर ऐसे किसी अधिकारी विषयक किए गए दावे की दशा में जो मार्ग अधिकार या चरागाह अधिकार या वन-उपज या जलमार्ग के अधिकार से भिन्न है, उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश देगा।

(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः मंजूर किया जाता है, तो वह व्यवस्थापन अधिकारी या तो—

(i) ऐसी भूमि को प्रस्थापित वन की सीमाओं से अपवर्जित करेगा; या

(ii) ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण के लिए उसके स्वामी से करार करेगा; या

(iii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबंधित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(3) ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के प्रयोजन के लिए—

(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी की बावत यह समझा जाएगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्यवाही करने वाला कलक्टर है;

(ख) दावेदार के बारे में समझा जाएगा कि वह हितबद्ध और उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति है;

(ग) उस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंधों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका अनुपालन हो चुका है; और

(d) the Collector, with the consent of the claimant, or the Court, with the consent of both parties, may award compensation in land, or partly in land and partly in money.

12. Order on claims to rights of pasture to or forest-produce—In the case of a claim to rights of pasture or to forest-produce, the Forest Settlement-officer shall pass an order admitting or rejecting the same in whole or in part.

13. Record to be made by Forest Settlement-officer—The Forest Settlement-officer, when passing any order under section 12, shall record, so far as may be practicable,—

(a) the name, father's name, caste, residence and occupation of the person claiming the right; and

(b) the designation, position and area of all fields or groups of fields (if any), and the designation and position of all buildings (if any) in respect of which the exercise of such rights is claimed.

14. Record where he admits claim—If the Forest Settlement-officer admits in whole or in part any claim under section 12, he shall also record the extent to which the claim is so admitted, specifying the number and description of the cattle which the claimant is from time to time entitled to graze in the forest, the season during which such pasture is permitted, the quantity of timber and other forest-produce which he is from time to time authorised to take or receive, and such other particulars as the case may require. He shall also record whether the timber or other forest-produce obtained by the exercise of the rights claimed may be sold or bartered.

15. Exercise of rights admitted—(1) After making such record the Forest Settlement-officer shall, to the best of his ability, having due regard to the maintenance of the reserved forest in respect of which the claim is made, pass such orders as will ensue the continued exercise of the rights so admitted.

(2) For this purpose the Forest Settlement-officer may—

(a) set out some other forest-tract of sufficient extent, and in a locality reasonably convenient, for the purposes of such claimants, and record an order conferring upon them a right of pasture or to forest-produce (as the case may be) to the extent so admitted; or

(b) so alter the limits of the proposed forest as to exclude forest-land of sufficient extent, and in a locality reasonably convenient, for the purposes of the claimants; or

(c) record an order, continuing to such claimants a right of pasture or to forest-produce, as the case may be, to the extent so admitted, at such seasons, within such portions of the proposed forest, and under such rules, as may be made in this behalf by the State Government.

16. Commutation of rights—In case the Forest Settlement-officer finds it impossible having due regard to the maintenance of the reserved forest, to make such settlement under section 15 as shall ensure the continued exercise of the said rights to the extent so admitted, he shall, subject to such rules as the State Government may make in this behalf, commute such rights, by the payment to such persons of a sum of money in lieu thereof, or by the grant of land, or in such other manner as he thinks fit.

17. Appeal from order passed under section 11, section 12, section 15 or section 16—Any person who has made a claim under this Act, or any Forest-officer or other person generally or specially empowered by the State Government in this behalf, may, within three months from the date of the order passed on such claim, by the Forest Settlement-officer under section 11, section 12, section 15 or section 16, present an appeal from such order to such officer of the Revenue Department, of rank not lower than that of a Collector, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint to hear appeals from such orders :

Provided that the State Government may establish a Court (hereinafter called the Forest Court) composed of three persons to be appointed by the State Government, and when the Forest Court has been so established, all such appeals shall be presented to it.

(घ) कलक्टर, दावेदार की सम्मति से या न्यायालय, दोनों पक्षकारों की सम्मति से, भूमि के रूप में या भागतः भूमि के रूप में और भागतः धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

12. चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों के दावों पर आदेश—चरागाह या वन-उपज पर के अधिकारों से संबंध दावों की दशा में वन व्यवस्थापन अधिकारी उन्हें पूर्णतः या भागतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश पारित करेगा ।

13. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेख—वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित को यावत्साध्य अभिलिखित करेगा—

(क) अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवास और उपजीविका, और

(ख) उन सब खेतों या खेतों के समूहों (यदि कोई हों) का नाम, स्थिति और क्षेत्रफल और उन सब भवनों के (यदि कोई हों) नाम और स्थिति जिनके विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग का दावा किया गया है ।

14. जहाँ वह दावा मंजूर करता है वहाँ अभिलेख—यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर लेता है, तो वह उन दोनों की संख्या और वर्णन जिन्हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने, के लिए हकदार है, वह ऋतु जिसके दौरान ऐसा चराना अनुज्ञात है, उस इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज का परिणाम जिसे वह समय-समय पर लेने या प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी अन्य विविधियाँ, जैसी उस मामले में उपस्थित हों, विनिर्दिष्ट करके यह भी अभिलिखित करेगा कि कहाँ तक वह दावा इस प्रकार मंजूर किया गया है । वह यह भी अभिलिखित करेगा कि दावाकृत अधिकारों के प्रयोग द्वारा अभिप्राप्त इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज बेची जा सकेगी या वस्तु-विनियमित की जा सकेगी या नहीं ।

15. मंजूर किए गए अधिकारों का प्रयोग—(1) वन व्यवस्थापन, अधिकारी, ऐसे अभिलेख तैयार करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के संबंध में दावा किया गया है उसको बनाए रखने का सम्यक् ध्यान करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा, जिनसे इस प्रकार मंजूर किए गए अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जाएगा ।

(2) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए—

(क) पर्याप्त विस्तार वाले और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में के किसी अन्य वन खंड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिए उपवर्णित कर सकेगी और उन्हें इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक (यथास्थिति) चरागाह या वन-उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा; या

(ख) प्रस्थापित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में की वन भूमि उपवर्णित हो जाए; या

(ग) ऐसे दावेदारों को यथास्थिति, चरागाह या वन-उपज के अधिकार ऐसे मंजूर किए गए विस्तार तक ऐसी ऋतु में प्रस्थापित वन के ऐसे प्रभागों के अन्दर, और ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा ।

16. अधिकारों का रूपान्तरण—यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी आरक्षित वन को बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखकर धारा 15 के अधीन ऐसा व्यवस्थापन करना असंभव पाता है, जिससे इस प्रकार मंजूर किए गए विस्तार तक उक्त अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जाता है तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धनराशि के सदाय द्वारा या भूमि के अनुदान द्वारा या किसी अन्य रीति से जिसे वह ठीक समझता है, ऐसे अधिकारों का रूपान्तरण कर सकेगा ।

17. धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील—ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, या कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः सशक्त अन्य व्यक्ति ऐसे दावे पर धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर ऐसे आदेश की अपील राज्य विभाग के कलक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष उपस्थित कर सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे :

परन्तु राज्य सरकार एक न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् वन न्यायालय कहा गया है) स्थापित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा, और जब इस प्रकार वन न्यायालय स्थापित हो जाए तब वही सब अपीलें उसके समक्ष उपस्थित की जाएंगी ।

18. Appeal under section 17—(1) Every appeal under section 17 shall be made by petition in writing, and may be delivered to the Forest Settlement-officer, who shall forward it without delay to the authority competent to hear the same.

(2) If the appeal be to an officer appointed under section 17, it shall be heard in the manner prescribed for the time being for the hearing of appeals in matters relating to land-revenue.

(3) If the appeal be to the Forest Court the Court shall fix a day and a convenient place in the neighbourhood of the proposed forest for hearing the appeal, and shall give notice thereof to the parties, and shall hear such appeal accordingly.

(4) The order passed on the appeal by such officer or Court, or by the majority of the members of such Court, as the case may be, shall, subject only to revision by the State Government, be final.

19. Pleadings—The State Government, or any person who has made a claim under this Act may appoint any person to appear, plead and act on its or his behalf before the Forest Settlement-officer, or the appellate officer or Court, in the course of any inquiry or appeal under this Act.

20. Notification declaring forest reserved—(1) When the following events have occurred, namely:—

(a) the period fixed under section 6 for preferring claims have elapsed and all claims if any made under that section or section 9 have been disposed of by the Forest Settlement-officer;

(b) if any such claims have been made, the period limited by section 17 for appealing from the orders passed on such claims has elapsed, and all appeals (if any) presented within such period have been disposed of by the appellate officer or Court and

(c) all lands (if any) to be included in the proposed forest, which the Forest Settlement-officer has, under section 11, elected to acquire under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), have become vested in the Government under section 16 of that Act,

the State Government shall publish a notification in the Official Gazette, specifying definitely according to boundary-marks erected or otherwise, the limits of the forest which is to be reserved, and declaring the same to be reserved from a date fixed by the notification.

(2) From the date so fixed such forest shall be deemed to be a reserved forest.

21. Publication of translation of such notification in neighbourhood of forest—The Forest-officer shall, before the date fixed by such notification, cause a translation thereof into the local vernacular to be published in every town and village in the neighbourhood of the forest.

22. Power to revise arrangement made under section 15 or section 18—The State Government may, within five years from the publication of any notification under section 20, revise any arrangement made under section 15 or section 18, and may for this purpose rescind or modify any order made under section 15 or section 18, and direct that any one of the proceedings specified in section 15 be taken in lieu of any other of such proceedings, or that the rights admitted under section 12 be commuted under section 16.

23. No right acquired over reserved forest, except as here provided—No right of any description shall be acquired in or over a reserved forest except by succession or under a grant or contract in writing made by or on behalf of the Government or some person in whom such right was vested when the notification under section 20 was issued.



18. धारा 17 के अधीन अपील—(1) धारा 17 के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जा सकेगी जो उसे सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को अविलम्ब भेज देगा।

(2) यदि अपील, धारा 17 के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जाए, तो भू-राजस्व से संबद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिए तत्समय विहित रीति से उसकी सुनवाई की जाएगी।

(3) यदि अपील वन न्यायालय के समक्ष की जाए, तो न्यायालय अपील की सुनवाई के लिए कोई दिन और प्रस्थापित वन के आस-पास में ऐसा सुविधाजनक स्थान नियत करेगा, और उसकी सूचना पक्षकारों को देगा; और तदनुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।

(4) अपील पर, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल राज्य सरकार के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

19. प्लेडर—राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी या अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने और अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

20. वन को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना—(1) जबकि निम्नलिखित घटनाएं घटित हो गई हों, अर्थात्:—

(क) जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालावधि बीत गई हो और उस धारा या धारा 9 के अधीन सब दावों का, यदि कोई हों, वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो;

(ख) यदि कोई ऐसे दावे किए गए हों, तो जब ऐसे दावों पर पारित आदेशों की अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई हो, और यदि ऐसी कालावधि के अन्दर उपस्थित की गई सभी अपीलों का (यदि कोई हों) निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो; और

(ग) जबकि प्रस्थापित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियां (यदि कोई हों) जिन्हें धारा 11 के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी ने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1984 का 1) के अधीन अर्जित करने के लिए चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन सरकार में निहित हो गई हों,

तब राज्य सरकार परिनिर्मित सीमा चिह्नों के अनुसार या अन्यथा उस वन की, जिसे आरक्षित किया जाना है, सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिर्दिष्ट करने वाली और अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसा वन इस प्रकार नियत तारीख से आरक्षित वन समझा जाएगा।

21. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आसपास में प्रकाशन—ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से पूर्व, वन अधिकारी स्थानीय जन भाषा में उसका अनुवाद वन के आसपास के हर नगर और ग्राम में प्रकाशित कराएगा।

22. धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए प्रबंध का पुनरीक्षण करने की शक्ति—राज्य सरकार धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए किसी प्रबंध का पुनरीक्षण धारा 20 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन से पांच वर्ष के अन्दर कर सकेगी और धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिए विखंडित या उपांतरित कर सकेगी, और निदेश दे सकेगी कि धारा 15 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों में से किसी अन्य के बदले में की जाए, या धारा 12 के अधीन संजूर किए गए अधिकारों का धारा 16 के अधीन रूपान्तर किया जाए।

23. आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबंधित के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा—आरक्षित वन में या उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार, उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें ऐसा अधिकार उस समय निहित था, जिस समय धारा 20 के अधीन अधिसूचना निकाली गई थी, या उसकी ओर से दिए गए अनुदान या की गई लिखित सविदा के अधीन अर्जित किए जाने के सिवाय अर्जित नहीं होगा।

63

24. Rights not to be alienated without sanction—(1) Notwithstanding anything contained in section 23, no right continued under clause (c) of sub-section (2) of section 15 shall be alienated by way of grant, sale, lease mortgage or otherwise, without the sanction of the State Government:

Provided that, when any such right is appendant to any land or house, it may be sold or otherwise alienated with such land or house.

(2) No timber or other forest-produce obtained in exercise of any such right shall be sold or bartered except to such extent as may have been admitted in the order recorded under section 14.

25. Power to stop ways and water courses in reserved forests—The Forest-officer may, with the previous sanction of the State Government or of any officer duly authorised by it in this behalf, stop any public or private way or water-course in a reserved forest, provided that a substitute for the way or water-course so stopped, which the State Government deems to be reasonably convenient, already exists, or has been provided or constructed by the Forest-officer in lieu thereof.

26. Acts prohibited in such forests—(1) Any person who—

(a) makes any fresh clearing prohibited by section 5, or

(b) sets fire to a reserved forest, or, in contravention of any rules made by the State Government in this behalf, kindles any fire, or leaves any fire burning, in such manner as to endanger such a forest;

or who, in a reserved forest—

(c) kindles, keeps or carries any fire except at such seasons as the Forest-officer may notify in this behalf;

(d) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass;

(e) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber;

(f) fells, girdles, lops, or burns any tree or strips off the bark or leaves from, or otherwise damages, the same;

(g) quarries stone, burns lime or charcoal, or collects, subjects to any manufacturing process, or removes, any forest-produce;

(h) clears or breaks up any land for cultivation or any other purpose;

(i) in contravention of any rules made in this behalf by the State Government hunts, shoots fishes, poisons water or sets traps or snares; or

(j) in any area in which the Elephants' Preservation Act, 1879, (6 of 1879) is not in force, kills or catches elephants in contravention of any rules so made.

Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting Court may direct to be paid.

(2) Nothing in this section shall be deemed to prohibit—

(a) any act done by permission in writing of the Forest-officer, or under any rule made by the state Government; or

(b) the exercise of any right continued under clause (c) of sub-section (2) of section 15, or created by grant or contract in writing made by or on behalf of the Government, and

24. मंजूरी के बिना अधिकारों का अन्यसंक्रामण न किया जाएगा—(1) धारा 23 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अधिकार, जो धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन चालू रखा गया है, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विक्रय द्वारा, पट्टे द्वारा, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्यसंक्रांत न किया जाएगा :

परन्तु जबकि ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न है तब वह ऐसी भूमि या गृह के साथ बेचा जा सकेगा या अन्यथा अन्यसंक्रांत किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या वन-उपज, उस मात्रा तक के सिवाय, जो धारा 14 के अधीन अभिलिखित आदेश में मंजूर की गई हों, बेची या वित्तियमित न की जा सकेगी ।

25. आरक्षित वनों में के पथों और जलमार्गों को बन्द करने की शक्ति—वन अधिकारी आरक्षित वन में के किसी लोक या प्राइवेट पथ या जलमार्ग को राज्य सरकार या इस निमित्त उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से बंद कर सकेगा, परन्तु वह यह तभी कर सकेगा जबकि इस प्रकार बन्द किए गए पथ या जलमार्ग की बजाय ऐसा प्रतिस्थानी पथ या जलमार्ग, जिसको राज्य सरकार युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझती है, पहले से ही विद्यमान है, या वन अधिकारी द्वारा उसके बदले में उपबंधित या सन्निमित्त किया गया है ।

26. ऐसे वनों के प्रतिषिद्ध कार्य—(1) जो कोई व्यक्ति—

(क) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटाई-सफाई करेगा; या

(ख) आरक्षित वन में आग लगाएगा, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलाएगा या आग को जलते छोड़ देगा जिससे ऐसा वन संकटापन्न ही जाए; या

जो आरक्षित वन में—

(ग) ऐसी ऋतुओं में के सिवाय, जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई आग जलाएगा, रखेगा या ले जाएगा ;

(घ) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा;

(ङ) किसी वृक्ष को गिराने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा;

(च) किसी वृक्ष को गिराएगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेवेगा या उसे जलाएगा या उसकी छात्र उतार डालेगा या पत्तियां तोड़ डालेगा, या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा;

(छ) पत्थर की खुदाई करेगा, चूना या लकड़ी का कोयला फूंकेंगा, या किसी वन-उपज का संग्रह करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया करेगा, या उसे हटाएगा;

(ज) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा या तोड़ेगा;

(झ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली-चलाएगा मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाषाण या जाल बिछाएगा; या

(ञ) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 (1879 का 6) प्रवृत्त नहीं है, इस प्रकार बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में हाथियों का वध करेगा या उन्हें पकड़ेगा,

वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) इस धारा की किसी बात की बावत यह न समझा जाएगा कि वह—

(क) वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए किसी कार्य को, या

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन चालू रखेगा या सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारा 23 के अधीन दिए गए लिखित अनुदान या की गई लिखित संविदा द्वारा सृष्ट किसी अधिकार के प्रयोग को, प्रतिषिद्ध करती है ।

(3) Whenever fire is caused wilfully or by gross negligence in a reserved forest, the State Government may (notwithstanding that any penalty has been inflicted under this section) direct that in such forest or any portion thereof the exercise of all rights of pasture or to forest-produce shall be suspended for such period as it thinks fit.

27. Power to declare forest no longer reserved—(1) The State Government may, <sup>1\*\*\*</sup> by notification in the Official Gazette, direct that, from a date fixed by such notification, any forest or any portion thereof reserved under the Act shall cease to be a reserved forest.

(2) From the date so fixed, such forest or portion shall cease to be reserved; but the rights (if any) which have been extinguished therein shall not revive in consequence of such cessation.

### CHAPTER III

#### OF VILLAGE-FORESTS

28. Formation of village-forests—(1) The State Government may assign to any village-community the rights of Government to or over any land which has been constituted a reserved forest, and may cancel such assignment. All forests so assigned shall be called village-forests.

(2) The State Government may make rules for regulating the management of village-forests, prescribing the conditions under which the community to which any such assignment is made may be provided with timber or other forest-produce or pasture, and their duties for the protection and improvement of such forest.

(3) All the provisions of this Act relating to reserved forests shall (so far as they are not inconsistent with the rules so made) apply to village-forests.

### CHAPTER IV

#### OF PROTECTED FORESTS

29. Protected forests—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare the provisions of this Chapter applicable to any forest-land or waste-land which is not included in a reserved forest but which is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest-produce of which the Government is entitled.

(2) The forest-land and waste-lands comprised in any such notification shall be called a "protected forest".

(3) No such notification shall be made unless the nature and extent of the rights of Government and of private persons in or over the forest-land or waste-land comprised therein have been inquired into and recorded at a survey or settlement, or in such other manner as the State Government think sufficient. Every such record shall be presumed to be correct until the contrary is proved.

Provided that, if, in the case of any forest-land or waste land, the State Government thinks that such inquiry and record are necessary, but that they will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of Government, the State Government may, pending such inquiry and record, declare such land to be a protected forest, but so as not to abridge or affect any existing rights of individuals or communities.

(3) जब कभी आरक्षित वन में जानबूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तब (इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में चरागाह या वन-उपज के सब अधिकारों का प्रयोग उतनी कालावधि के लिए, जितनी वह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगी।

27. यह घोषित करने की शक्ति कि वह आरक्षित वन नहीं रहा है—(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका प्रभावी, ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित वन नहीं रह जाएगा।

(2) इस प्रकार नियत तारीख से, ऐसा वन या उसका प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा, किन्तु उसमें वे अधिकार (यदि कोई हों), जो निर्वापित हो गए हैं, ऐसे न रहने के परिणामस्वरूप पुनर्जीवित नहीं हो जाएंगे।

### अध्याय 3

#### ग्राम वनों के संबंध में

28. ग्राम वनों का निर्माण—(1) राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर, जो आरक्षित वन कर दी गई है, अधिकार किसी ग्राम समुदाय को समनुदिष्ट कर सकेगी और ऐसा समनुदेशन रद्द कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशन सब वन ग्राम वन कहलाएंगे।

(2) जिस ग्राम समुदाय को ऐसा समनुदेशन किया गया है उस ग्राम समुदाय के लिए इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज या चरागाह का उपबन्ध जिन शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, उन्हें ऐसे वन के संरक्षण और सुधार के लिए, उनके कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबंध को विनियमित करने के लिए बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के वे सब उपबंध, जो आरक्षित वनों से संबद्ध हैं, वहां तक (जहां तक कि वे इस प्रकार बनाए गए सब नियमों से असंगत नहीं हैं) ग्राम वनों को लागू होंगे।

### अध्याय 4

#### संरक्षित वनों के संबंध में

29. संरक्षित वन—(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबंध किसी वन भूमि या बंजर भूमि को, जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है किन्तु जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार या सम्पूर्ण वन-उपज या उसके किसी भाग को, जिसकी सरकार हकदार है, लागू है।

(2) ऐसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि और बंजर भूमि "संरक्षित वन" कहलाएगी।

(3) जब तक कि अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच नहीं कर ली जाती और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी। जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, ऐसी हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह शुद्ध है।

परन्तु यदि किसी वन भूमि या बंजर भूमि की बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि ऐसी जांच और अभिलेख आवश्यक है, किन्तु उन्हें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जांच और अभिलेख के लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किन्हीं व्यक्तियों या समुदायों के विद्यमान अधिकार कम या प्रभावित नहीं होंगे।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया गया।

67

30. Power to issue notification reserving trees, etc.—The State Government may, by notification in the Official Gazette,—

(a) declare any trees or class of trees in a protected forest to be reserved from a date fixed by the notification;

(b) declare that any portion of such forest specified in the notification shall be closed for such term, not exceeding thirty years, as the State Government thinks fit, and that the rights of private persons, if any, over such portion shall be suspended during such terms, provided that the remainder of such forest be sufficient, and in a locality reasonably convenient, for the due exercise of the right suspended in the portion so closed; or

(c) prohibit, from a date fixed as aforesaid, the quarrying of stone, or the burning of lime or charcoal, or the collection or subjection to any manufacturing process, or removal of, any forest produce in any such forest, and the breaking up or clearing for cultivation, for building, for herding cattle or for any other purpose, of any land in any such forest.

31. Publication of translation such notification in neighbourhood.—The Collector shall cause a translation into the local vernacular of every notification issued under section 30 to be affixed in a conspicuous place in every town and village in the neighbourhood of the forest comprised in the notification.

32. Power to make rules for protected forests—The State Government may make rules to regulate the following matters, namely :—

(a) the cutting, sawing, conversion and removal of trees and timber, and the collection, manufacture and removal of forest-produce, from protected forests;

(b) the granting of licences to the inhabitants of towns and villages in the vicinity of protected forests to take trees, timber or other forest-produce for their own use, and the production and return of such licences by such persons;

(c) the granting of licences to persons felling or removing trees or timber or other forest-produce from such forests for the purposes of trade, and the production and return of such licences by such persons;

(d) the payments, if any, to be made by the persons mentioned in clauses (b) and (c) for permission to cut such trees, or to collect and remove such timber or other forest-produce;

(e) the other payments, if any, to be made by them in respect of such trees, timber and produce, and the places where such payment shall be made;

(f) the examination of forest-produce passing out of such forests;

(g) the clearing and breaking up of land for cultivation or other purposes in such forests;

(h) the protection from fire of timber lying in such forests and of trees reserved under section 30

(i) the cutting of grass and pasturing of cattle in such forests;

(j) hunting, shooting, fishing, poisoning water and setting traps or snares in such forests and the killing or catching of elephants in such forests in areas in which the Elephants' Preservation Act, 1879 (6 of 1879), is not in force;

(k) the protection and management of any portion of a forest closed under section 30; and

(l) the exercise of rights referred to in section 29.

30. वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति—राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) संरक्षित वन में के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग को अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी;

(ख) यह घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे वन का प्रभाग तीस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए, जैसी राज्य सरकार उचित समझ, बंद रहेगा और ऐसे प्रभाग पर प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकार, यदि कोई हों, ऐसी अवधि के दौरान निलम्बित रहेंगे, परन्तु यह तभी होगा जब कि ऐसे वन का शेष भाग इस प्रकार बंद किए गए प्रभाग में निलम्बित अधिकारों के सम्यक् प्रयोग के लिए पर्याप्त और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान में हों; या

(ग) ऐसे किसी वन में पत्थर की खुदाई करने या चूने या लकड़ी के कोयले को फूंकने, भा ऐसे किसी वन में वन-उपज का संग्रहण करने या उस पर कोई विनिर्माण प्रक्रिया करने या उसे हटाने और खेती, भवन निर्माण, पशुओं के गोल रखने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे वन में कोई भूमि तोड़ना या साफ करना, यथापूर्वोक्त नियत तारीख से प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

31. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का आसपास में प्रकाशन—कनकट्टर धारा 30 के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना का स्थानीय जनभाषा में अनुवाद अधिसूचना में समाविष्ट वन के आसपास वाले हर नगर और ग्राम में सहजदृश्य स्थान पर लगाया जाएगा।

32. संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्—

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई, चिराई, संपरिर्वर्तित करना और हटाना, तथा संरक्षित वनों की वन-उपज का संग्रहण करना, विनिर्माण करना तथा उसको हटाना;

(ख) संरक्षित वनों के सामीप्य के नगरों और ग्रामों के निवासियों को अपने प्रयोग के लिए वृक्ष, इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज लेने के हेतु अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करना, और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियों का पेश और वापस किया जाना।

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिए ऐसे वनों में से वृक्षों या इमारती लकड़ी या वन-उपज को गिराने या हटाने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां प्रदान करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां पेश और वापस किया जाना;

(घ) खंड (ख) और (ग) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा ऐसे वृक्षों को काटने या ऐसी इमारती लकड़ी या वन-उपज को संगृहीत करने और हटाने की अनुज्ञा के लिए किए जाने वाले संदाय, यदि कोई हों;

(ङ) ऐसे वृक्षों, इमारती लकड़ी और उपज के बारे में उनके द्वारा कि जाने वाले अन्य संदाय, यदि कोई हों और व स्थान जहां ऐसा संदाय किया जाएगा;

(च) ऐसे वनों में से हो कर जाने वाली वन-उपज की परीक्षा;

(छ) ऐसे वनों में खेती या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि की कटाई-सफाई और भूमि तोड़ना;

(ज) ऐसे वनों में इमारती लकड़ी और धारा 30 के अधीन आरक्षित वृक्षों का आग से संरक्षण;

(झ) ऐसे वनों में घास काटना और ढोर चराना;

(ञ) ऐसे वनों में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल विषैला करना और पाश या जाल बिछाना और ऐसे वनों के उन क्षतों में जिनमें हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 (1879 का 67) प्रवृत्त नहीं है, हाथियों का वध करना या पकड़ना;

(ट) धारा 30 के अधीन वन के किसी बंद प्रभाग का संरक्षण और प्रबंध, भीर

(ठ) धारा 29 में, निर्देशित अधिकारों का प्रयोग।

33. Penalties for acts in contravention of notification under section 30 or of rules under section 32—  
(1) Any person who commits any of the following offences, namely :—

- (a) fells, girdles, lops, taps or burns any tree reserved under section 30, or strips off the bark or leaves from, or otherwise damages, any such tree;
- (b) contrary to any prohibition under section 30, quarries any stone, or burns any lime or charcoal or collects, subjects to any manufacturing process, or removes any forest-produce;
- (c) contrary to any prohibition under section 30, breaks up or clears for cultivation or any other purpose any land in any protected forest;
- (d) sets fire to such forest, or kindles a fire without taking all reasonable precautions to prevent its spreading to any tree reserved under section 30, whether standing fallen or felled, or to any closed portion of such forest;
- (e) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any such tree or closed portion;
- (f) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid;
- (g) permits cattle to damage any such tree;
- (h) infringes any rule made under section 32,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

(2) Whenever fire is caused wilfully or by gross negligence in a protected forest, the State Government may, notwithstanding that any penalty has been inflicted under this section, direct that in such forest or any portion thereof the exercise of any right of pasture or to forest-produce shall be suspended for such period as it thinks fit.

34. Nothing in this Chapter to prohibit acts done in certain cases—Nothing in this Chapter shall be deemed to prohibit any act done with the permission in writing of the Forest-officer, or in accordance with rules made under section 32, or, except as regards any portion of a forest closed under section 30, or as regards any rights the exercise of which has been suspended under section 33, in the exercise of any right recorded under section 29.

#### CHAPTER V

### OF THE CONTROL OVER FORESTS AND LANDS NOT BEING THE PROPERTY OF GOVERNMENT

35. Protection of forests for special purposes—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, regulate or prohibit in any forest or waste-land—

- (a) the breaking up or clearing of land for cultivation;
- (b) the pasturing of cattle; or
- (c) the firing or clearing of the vegetation.

when such regulation or prohibition appears necessary for any of the following purposes :—

- (i) for protection against storms, winds, rolling stones, floods and avalanches;
- (ii) for the preservation of the soil on the ridges and slopes and in the valleys of hilly tracts, the prevention of landslips or of the formation of revines, and torrents, or the protection of land against erosion, or the deposit thereon of sand, stones or gravel;
- (iii) for the maintenance of a water-supply in springs, rivers and tanks;
- (iv) for the protection of roads, bridges, railways and other lines of communication;
- (v) for the preservation of the public health.

(2) The State Government may, for any such purpose, construct at its own expense, in or upon any forest or waste-land, such work as it thinks fit.



33. धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्तियां—  
(1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

- (क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिराना, परितक्षण करेगा, छांटेगा छवगा या जलाएगा या ऐसे किसी वृक्ष की छाल उतार डालेगा या पत्तियां तोड़ डालेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा;  
(ख) धारा 30 के अधीन किसी बाल प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर को खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूकेगा, या किसी वन-उपज का संग्रहण करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाएगा, या उसे हटाएगा;  
(ग) किसी संरक्षित वन में, धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़गा या साफ करेगा;  
(घ) ऐसे वन को आग लगाएगा, या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो, या ऐसे वन के बन्द किए गए किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त-पूर्ण पूर्वनिर्घानी बरते बिना आग जलाएगा;  
(ङ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा;  
(च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है;  
(छ) पशुओं को किसी ऐसे वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा;  
(ज) धारा 32 के अधीन बनाए गए किसी नियमों का अतिक्रमण करेगा।

वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जब किसी संरक्षित वन में जानबूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, तब राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है, निदेश दे सकेगी कि ऐसे वन में या उसके किसी प्रभाग में चरागाह या वन-उपज के किसी अधिकार का प्रयोग उतनी अवधि के लिए, जितनी वह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा।

34. इस अध्याय की कोई बात कतिपय मामलों में किए गए कार्यों का प्रतिषेध नहीं करेगी—इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे किसी कार्य का प्रतिषेध करती है जो वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से या धारा 32 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया गया है, या जो धारा 29 के अधीन अभिलिखित किसी अधिकार के प्रयोग में धारा 30 के अधीन बन्द किए गए किसी वन के प्रभाग के विषय में, या किन्हीं उन अधिकारों के विषय में जिनका प्रयोग धारा 33 के अधीन निलम्बित किया गया है, किए जाने के अलावा किया गया है।

## अध्याय 5

जो वन और भूमियां सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं उन पर नियंत्रण के संबंध में

35. विशेष प्रयोजनों के लिए वनों का संरक्षण—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वन या वन भूमि में—

- (क) खेती के लिए भूमि तोड़ना या साफ करना;  
(ख) ढोर चराना; या  
(ग) वनस्पति को जमाना या उसे साफ करना,

उस सूत्र में विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी जिसमें कि ऐसा विनियमन या प्रतिषेध निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, अर्थात्—

- (i) आंधी, तेज वायु, लुढ़कते पत्थरों, बाढ़ और हिमानी से संरक्षण;  
(ii) पहाड़ी भू-भागों की शिखरों और ढलानों और घाटियों पर मृदा का परिरक्षण, भूमि-स्खलन या खादर और मेघधारा के बहने को रोकना, या कटाव या उस पर बालू, पत्थर या बजरी के जमाव से भूमि का संरक्षण;  
(iii) झरनों, नदियों और तालाबों में जलपूर्ति बनाए रखना;  
(iv) पथों, पुलों, रेलों और संचार के अन्य मार्गों का संरक्षण;  
(v) लोक स्वास्थ्य का परिरक्षण;

(2) राज्य सरकार ऐसे किसी प्रयोजन के लिए ऐसे संकर्म, जैसे वह ठीक समझती है, किसी वन या वन भूमि में अपने व्यय पर बनवा सकेगी।

(3) No notification shall be made under sub-section (1) nor shall any work be begun under sub-section (2), until after the issue of a notice to the owner of such forest or land calling on him to show cause, within a reasonable period to be specified in such notice, why such notification should not be made or work constructed, as the case may be, and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of the same, have been heard by an officer duly appointed in that behalf and have been considered by the State Government.

36. Power to assume management of forests—(1) In case of neglect of, or wilful disobedience to any regulation or prohibition under section 35, or if the purposes of any work to be constructed under that section so require, the State Government may, after notice in writing to the owner of such forest or land and after considering his objections, if any, place the same under the control of a Forest-officer, and may declare that all or any of the provisions of this Act relating to reserved forests shall apply to such forest or land.

(2) The net profits, if any, arising from the management of such forest or land shall be paid to the said owner.

37. Expropriation of forests in certain cases—(1) In any case under this Chapter in which the State Government considers that, in lieu of placing the forest or land under the control of a Forest-officer, the same should be acquired for public purposes, the State Government may proceed to acquire it in the manner provided by the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894).

(2) The owner of any forest or land comprised in any notification under section 35 may, at any time not less than three or more than twelve years from the date thereof, require that such forest or land shall be acquired for public purposes, and the State Government shall acquire such forest or land accordingly.

38. Protection of forests at request of owners—(1) The owner of any land or, if there be more than one owner thereof, the owners of shares therein amounting in the aggregate to at least two-thirds thereof may, with a view to the formation or conservation of forests thereon, represent in writing to the Collector their desire—

(a) that such land be managed on their behalf by the Forest-officer as a reserved or a protected forest on such terms as may be mutually agreed upon; or

(b) that all or any of the provisions of this Act be applied such land.

(2) In either case, the State Government may, by notification in the Official Gazette, apply to such land such provisions of this Act as it thinks suitable to the circumstances thereof and as may be desired by the applicants.

#### CHAPTER VI

#### OF THE DUTY ON TIMBER AND OTHER FOREST-PRODUCE

39. Power to impose duty on timber and other forest-produce—(1) The <sup>1</sup>[Central Government] may levy a duty in such manner, at such places and at such rates as it may declare by notification in the Official Gazette on all timber or other forest-produce—

(a) which is produced in <sup>2</sup>[the territories to which this Act extends], and in respect of which the Government has any right;

(b) which is brought from any place outside <sup>2</sup>[the territories to which this Act extends].

3\* \* \* \* \*

(2) In every case in which such duty is directed to be levied *ad valorem* the <sup>1</sup>[Central Government] may fix by like notification the value on which such duty shall be assessed.

1. Subs. by the A. O. 1937, for "L.G."

2. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1956, for "Part A States and Part C States".

3. The proviso omitted by the A.O. 1937.

(3) जब तक कि ऐसे वन या भूमि के स्वामी को इस बात के लिए समाहृत करने वाली सूचना न दे दी गई हो कि तुम ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त कालावधि के अन्दर यह हेतुक दशित करो कि यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना क्यों न निकाली जाए या संकर्म क्यों न बनाया जाए, और जब तक कि उसके आक्षेपों की, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य की जो वह उनके समग्रन में पेश करे, सुनवाई उस अधिकारी द्वारा न की जा चुकी हो जो उस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है और राज्य सरकार उन पर विचार न कर चुकी हो, तब तक उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी और न उपधारा (2) के अधीन कोई संकर्म आरम्भ किया जाएगा।

36. वनों का प्रबंध संभालने की शक्ति—(1) धारा 35 के अधीन किसी विनियम या प्रतिबंध की उपेक्षा या धानवृक्षकर अचज्ञा की दशा में या, यदि उस धारा के अधीन होने वाले किसी संकर्म के प्रयोजनार्थ ऐसा अपेक्षित है, तो राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि के स्वामी को लिखित सूचना के पश्चात् और उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, उसे वन अधिकारी के नियन्त्रण के अधीन कर सकेगी और घोषित कर सकेगी कि आरक्षित वनों, से सम्बद्ध इस अधिनियम के सब उपबंध या उनमें से कोई उपबंध ऐसे वन या भूमि को लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूमि के प्रबंध से उत्पन्न होने वाले शुद्ध लाभ, यदि कोई हों, उक्त स्वामी को दे दिए जाएंगे।

37. कुछ अवस्थाओं में वनों का स्वत्वहरण—(1) इस अध्याय के अधीन ऐसे किसी मामले में, जिसमें कि राज्य सरकार यह समझती है कि वन या भूमि को वन अधिकारी के नियन्त्रण में रखने के बजाय उसे लोक प्रयोजन के लिए अर्जित कर लिया जाए, राज्य सरकार भूमि अर्जित अधिनियम, 1894 (1892 का 1) द्वारा उपबंधित रीति से उसे अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगी।

(2) धारा 35 के अधीन किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन या भूमि का स्वामी, उस अधिसूचना की तारीख से अन्यून तीन वर्ष या अनधिक बारह वर्ष के अन्दर किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा वन या भूमि लोक प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाए और राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि को तदनुसार अर्जित कर लेगी।

38. स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण—(1) किसी भूमि का स्वामी, या यदि उसके एक से अधिक स्वामी हैं तो उन अंशों में से कुल मिलाकर कम से कम दो-तिहाई अंशों के स्वामी इस दिष्ट से कि उस भूमि पर वनों का रोपण या संरक्षण किया जाए, कलक्टर को अपनी इस इच्छा का लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा या कर सकेंगे :—

(क) कि हमारी ओर से ऐसी भूमि का आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में प्रबन्ध वन अधिकारी द्वारा ऐसे निबंधनों पर किया जाए जो परस्पर करार पाए जाएं; या

(ख) इस अधिनियम के सब उपबंध या उनमें से कोई उपबंध ऐसी भूमि को लागू कर दिए जाएं।

(2) दोनों में हर अवस्था में, राज्य सरकार, ऐसी भूमि को इस अधिनियम के ऐसे उपबंध राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू कर सकेगी, जिन्हें वह ऐसी भूमि की परिस्थितियों में उचित समझती हो और जो आवेदकों द्वारा वांछित हों।

अध्याय 6

इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क के संबंध में

39. इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति—(1) [केन्द्रीय सरकार] ऐसी रीति से, ऐसे स्थानों में और ऐसे दरों पर, जैसा वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करें, उस सब इमारती लकड़ी या वन-उपज पर शुल्क उद्गृहीत कर सकेगी—

(क) जो <sup>2</sup>[उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है], पैदा किया जाता है और जिसके विषय में सरकार को कोई अधिकार प्राप्त है,

(ख) जो <sup>2</sup>[उन राज्य क्षेत्रों का जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है], बाहर के किसी स्थान से लाया जाता है।

(2) ऐसे हर मामले में जिसमें ऐसे शुल्क की वावत यह निदिष्ट किया गया है कि वह मूल्यानुसार उद्गृहीत किया जाए, [केन्द्रीय सरकार] वैसे ही अधिसूचना द्वारा, वह मूल्य नियत कर सकेगी जिस पर ऐसा शुल्क निर्धारित होगा।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुसूचन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।  
 2. विधि अनुसूचन (सं 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग के राज्यों और भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।  
 3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुसूचन) आदेश, 1937 द्वारा "रजिस्ट्रार" का लोप किया गया।  
 87-M/J(N)619MofLJ&CA—3

(3) All duties on timber or other forest-produce which, at the time when this Act comes into force in any territory, are levied therein under the authority of the State Government, shall be deemed to be and to have been duly levied under the provisions of this Act.

<sup>1</sup>(4) Notwithstanding anything in this section, the State Government may, until provision to the contrary is made by <sup>2</sup>[Parliament], continue to levy any duty which it was lawfully levying before the commencements<sup>3</sup> of <sup>4</sup>[the Constitution], under this section as then in force:

Provided that nothing in this sub-section authorises the levy of any duty which as between timber or other forest-produce of the State and similar produce of the locality outside the State, discriminates in favour of the former, or which, in the case of timber or other forest-produce of localities outside the State, discriminates between timber or other forest-produce of one locality and similar timber or other forest-produce of another locality.]

**40. Limit not to apply to purchase-money or royalty**—Nothing in this Chapter shall be deemed to limit the amount, if any, chargeable as purchase-money or royalty on any timber or other forest-produce, although the same is levied on such timber or produce while in transit, in the same manner as duty is levied.

#### CHAPTER VII

#### OF THE CONTROL OF TIMBER AND OTHER FOREST-PRODUCE IN TRANSIT

**41. Power to make rules to regulate transit of forest produce**—(1) The control of all rivers and their banks as regards the floating of timber, as well as the control of all timber and other forest-produce in transit by land or water, is vested in the State Government, and it may make rules to regulate the transit of all timber and other forest-produce.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may—

(a) prescribe the routes by which alone timber or other forest-produce may be imported or exported or moved into, from or within <sup>5</sup>[the State];

(b) prohibit the import or export or moving of such timber or other produce without a pass from an officer duly authorised to issue the same, or otherwise than in accordance with the conditions of such pass;

(c) provide for the issue, production and return of such passes and for the payment of fees therefor;

(d) provide for the stoppage, reporting, examination and marking of timber or other forest-produce in transit, in respect of which there is reason to believe that any money is payable to the Government on account of the price thereof, or on account of any duty, fee, royalty or charge

1. Iss. by the A.O. 1937 as amended by para. 2 and Sch. to the Government of India (Adaptation of Indian Law Supplementary Order, 1937).

2. Subs. by A. O. 1950, for "the Central Legislature".

3. i.e. the 26th January, 1950.

4. Subs. by the A. O. 1950, for "Part III of the Government of India Act, 1935".

5. Subs. by the A. O. 1937, for "British India".

(3) इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर जो शुल्क उस समय, जब वह अधिनियम किसी राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त होता है, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन उसमें उद्गृहीत होते हैं, उन सब की बाबत यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्गृहीत होते हैं और सम्प्रकृ. रूप से उद्गृहीत होते रहे हैं।

[(4) जब तक कि [संसद] द्वारा प्रतिकूल उपबंध नहीं किया जाता, राज्य सरकार इस धारा में किसी बात के होत हुए भी किसी शुल्क को लगातार उद्गृहीत कर सकेगी, जिसे वह [संविधान] के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा के उस समय प्रवृत्त रूप में विधिपूर्णतः उद्गृहीत करती थी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसी किसी शुल्क का उद्ग्रहण प्राधिकृत नहीं करती जो राज्य की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और राज्य के बाहर के स्थानों की समरूप इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के बीच पूर्वकथित के पक्ष में विभेद करता है, या जो राज्य के बाहर किसी स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के मामले में, किसी एक स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और अन्य स्थान की समरूप इमारती लकड़ी या वन-उपज के बीच विभेद करता है।]

40. सीमा सम्बन्धी उपबन्ध क्रय-धन या स्वामित्व के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा—इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह समझा जाएगा कि वह उस स्थिति को यदि कोई हो, जो किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर क्रय-धन या स्वामित्व के रूप में प्रभावी है, सीमित करती है, भले ही वह ऐसी इमारती लकड़ी या उपज के अभिवहन के दौरान उस पर उस रीति से उद्गृहीत होता हो जिससे शुल्क उद्गृहीत होता है।

#### अध्याय 7

#### अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी और वन-उपज के नियंत्रण के संबंध में

41. वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति—(1) इमारती लकड़ी के वहाने के विषय में, सड़क नदियाँ और उनके तटों का नियन्त्रण और यज्ञ या जल द्वारा अभिवहन में की इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज का नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित है और वह सब इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) उन मार्गों को विहित कर सकेंगे जिन द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज, [राज्य] में आयात या [राज्य] से निर्यात या [राज्य] के अन्दर स्थानान्तरित की जा सकेगी ;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी के पास के बिना, जो उसे देने के लिए सम्प्रकृ. रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास की शर्तों के अनुसार से अन्यथा ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य उपज के आयात या निर्यात या स्थानान्तरण को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे;

(ग) ऐसे पासों के दिए जाने, पेश करने और वापस करने के लिए और उनके लिए फीसों के दिए जाने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(घ) अभिवहन में की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उस पर देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामित्व या प्रभार के कारण कोई धन सरकार को देय

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अनुपूरक आदेश, 1937 के पैरा 2 तथा अनुसूची द्वारा यथा संशोधित भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "केंद्रीय विधान-मण्डल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. अर्थात्, 26 जनवरी, 1950।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारत शासन अधिनियम, 1935 के भाग 3" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

due thereon, or, to which it is desirable for the purposes of this Act to affix a mark;

(e) provide for the establishment and regulation of depots to which such timber or other produce shall be taken by those in charge of it for examination, or for the payment of such money, or in order that such marks may be affixed to it, and the conditions under which such timber or other produce shall be brought to, stored at and removed from such depots;

(f) prohibit the closing up or obstructing of the channel or banks of any river used for the transit of timber or other forest-produce, and the throwing of grass, brushwood, branches or leaves into any such river or any act which may cause such river to be closed or obstructed;

(g) provide for the prevention or removal of any obstruction of the channel or banks of any such river, and for recovering the cost of such prevention or removal from the person whose acts or negligence necessitated the same;

(h) prohibit absolutely or subject to conditions, within specified local limits, the establishment or sawpits, the converting, cutting, burning, concealing or making or timber the altering or effacing of any marks on the same, or the possession or carrying of marking hammers or other implements used for marking timber;

(i) regulate the use of property marks for timber, and the registration of such marks; prescribe the time for which such registration shall hold good; limit the number of such marks that may be registered by any one person, and provide for the levy of fees for such registration.

(3) The State Government may direct that any rule made under this section shall not apply to any specified class of timber or other forest-produce or to any specified local area.

[41A. Powers of Central Government as to movements of timber across customs frontiers—Notwithstanding anything in section 41, the Central Government may make rules to prescribe the route by which alone timber or other forest-produce may be imported, exported or moved into or from [the territories to which this Act extends] across any customs frontier as defined by the Central Government, and any rules made under section 41 shall have effect subject to the rules made under this section].

42. Penalty for breach of rules made under section 41—(1) The State Government may by such rules prescribe as penalties for the contravention thereof imprisonment for a term which may extend to six months, or fine which may extend to five hundred rupees, or both.

(2) Such rules may provide that penalties which are double of those mentioned in sub-section (1) may be inflicted in cases where the offence is committed after sunset and before sunrise, or after preparation for resistance to lawful authority, or where the offender has been previously convicted of a like offence.

43. Government and Forest-officers not liable for damage to forest-produce at depot—The Government shall not be responsible for any loss or damage which may occur in respect of any timber or other forest-produce while at a depot established under a rule made under section 41, or while detained elsewhere, for the purposes of this Act; and no Forest-officer shall be responsible for any such loss or damage, unless he causes such loss or damage negligently, maliciously or fraudulently.

44. All persons bound to aid in case of accidents at depot—In case of any accident or emergency involving danger to any property at any such depot, every person employed at such depot, whether by the Government or by any private person, shall render assistance to any Forest-officer or Police-officer demanding his aid in averting such danger or securing such property from damage or loss.

1. Ins. by the A. O. 1937.

2. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 3) Order, 1956, for "Part A States and Part C States".

है या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिह्न लगाना वांछनीय है, रोक लेने, उसके धारे में रिपोर्ट देने, उसे परीक्षित करने, या चिह्नित करने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ड) उन डिपुओं की स्थापना और विनियमन के लिए, जिसमें ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके भारसंघन में वह है, परीक्षा के लिए या ऐसे धन के लिए जाने के लिए, या इस हेतु कि ऐसे चिह्न उन पर लगाए जाएं, ले जाई जाएगी और उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपुओं को जाई जाएगी, उनमें संगृहीत की जाएगी और उनसे हटाई जाएगी, उपबंध कर सकेंगे;

(च) इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिए प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तटों को बंद करना या बाधित करना और ऐसी किसी नदी में घास, झाड़-झंखाड़, शाखाएं या पत्तियां फेंकना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जिससे ऐसी नदी बन्द या बाधित हो जाए, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे;

(छ) ऐसी किसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिए और उस व्यक्ति से, जिसके कार्यों और उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्चा वसूल करने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई मशीन के लिए गड़ड़ा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित करना, काट लेना, चलाना, छिपाना या उस पर चिह्न लगाना, उस पर किन्हीं चिह्नों को बदलना या मिथ्याता या चिह्न लगाने वाले हथौड़े या इमारती लकड़ी को चिह्नित करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना, पूर्ण रूप से या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे;

(झ) इमारती लकड़ी के लिए सम्पत्ति संबंधी चिह्नों के प्रयोग और ऐसे चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे, उस समय को विहित कर सकेंगे, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, ऐसे चिह्नों की उस संख्या को सीमित कर सकेंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए फीसों के उद्ग्रहण के लिए उपबंध कर सकेंगे।

(3) राज्य सरकार निदेश दे सकेंगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होगा।

41क. सीमा शुल्क सीमान्तों के पार इमारती लकड़ी के स्थानान्तरण विषयक केन्द्रीय सरकार की शक्तियां—धारा 41 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उस मार्ग को विहित करने के लिए नियम बना सकेंगी जिसके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे किन्हीं सीमा-शुल्क सीमान्तों के पार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिनिश्चित है, [उन राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है] या उनसे आयात या निर्यात या स्थानान्तरित की जा सकेंगी और धारा 41 के अधीन बनाए गए कोई नियम, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे।

42. धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के भंग के लिए शास्ति—(1) राज्य सरकार ऐसे नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति के रूप में ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जमाना, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों, ऐसे नियमों द्वारा विहित कर सकेंगी।

(2) ऐसे नियम उपबंध कर सकेंगे कि उन मामलों में, जिनमें अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयारी करने के पश्चात् किया गया है या जहां कि अपराधी उसी प्रकार के अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चुका है, उपधारा (1) में वर्णित शास्तियों से दुगुनी शास्तियां लगाई जा सकेंगी।

43. डिपों में रखी वन-उपज को हुए नुकसान के लिए सरकार या वन अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे—किसी हानि या नुकसान के लिए, जो किसी इमारती लकड़ी या वन-उपज को उस समय हो जाए, जबकि वह धारा 41 के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन स्थापित किसी डिपो में है, या जब वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यत्र रोक रखा गया है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, और जब तक कोई वन अधिकारी ऐसी हानि या नुकसान उपेक्षा, विद्वेष या कपट से नहीं करता है, तब तक ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

44. डिपो पर दुर्घटना की अवस्था में सब व्यक्ति सहायता करने के लिए आबद्ध होंगे—ऐसे किसी डिपो में किसी सम्पत्ति को संकटापन्न करने वाली दुर्घटना या आपात की दशा में ऐसे डिपो में, चाहे सरकार द्वारा या चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा नियोजित हर व्यक्ति ऐसा संकट टालने या नुकसान या हानि से ऐसी सम्पत्ति को बचाने के लिए उसकी अपनी सहायता भांगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को सहायता देगा।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुसूचन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. विधि अनुसूचन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाषक राज्यों और भाषा ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## CHAPTER VIII

## OF THE COLLECTION OF DRIFT AND STRANDED TIMBER

45. Certain kinds of timber to be deemed property of Government until title thereto proved, and may be collected accordingly—(1) All timber found adrift, beached, stranded or sunk—

All wood or timber bearing marks which have not been registered in accordance with the rule made under section 41, or on which the marks have been obliterated, altered or defaced by fire or otherwise; and

in such areas as the State Government directs, all unmarked wood and timber, shall be deemed to be the property of Government, unless and until any person establishes his right and title thereto, as provided in this Chapter.

(2) Such timber may be collected by any Forest-officer or other person entitled to collect the same by virtue of any rule made under section 51 and may be brought to any depot which the Forest-officer may notify as a depot for the reception of drift timber.

(3) The State Government may, by notification in the Official Gazette, exempt any class of timber from the provisions of this section.

46. Notice to claimants of drift timber—Public notice shall from time to time be given by the Forest-officer, of timber collected under section 45. Such notice shall contain a description of the timber, and shall require any person claiming the same to present to such officer, within a period not less than two months from the date of such notice, a written statement of such claim.

47. Procedure on claim preferred to such timber—(1) When any such statement is presented as aforesaid, the Forest-officer may, after making such inquiry as he thinks fit, either reject the claim after according his reasons for so doing, or deliver the timber to the claimant.

(2) If such timber is claimed by more than one person, the Forest-officer may either deliver the same to any of such persons who he deems entitled thereto, or may refer the claimants to the Civil Courts, and retain the timber pending the receipt of an order from any such Court for its disposal.

(3) Any person whose claim has been rejected under this section may, within three months from the date of such rejection, institute a suit to recover possession of the timber claimed by him; but no person shall recover any compensation or costs against the Government, or against any Forest-officer on account of such rejection, or the detention or removal of any timber, or the delivery thereof to any other person under this section.

(4) No such timber shall be subject to process of any Civil, Criminal or Revenue Court until it has been delivered, or a suit has been brought, as provided in this section.

48. Disposal of unclaimed timber—If no such statement is presented as aforesaid, or if the claimant omits to prefer a claim in the manner and within the period fixed by the notice issued under section 46, or on such claim having been so preferred by him and having been rejected, omits to institute a suit to recover possession of such timber within the further period fixed by section 47, the ownership of such timber shall vest in the Government, or, when such timber has been delivered to another person under section 47, in such other person free from all encumbrances not created by him.

49. Government and its officers not liable for damage to such timber—The Government shall not be responsible for any loss or damage which may occur in respect of any timber collected under section 45, and no Forest-officer shall be responsible for any such loss or damage, unless he causes such loss or damage negligently, maliciously or fraudulently.



## अध्याय 8

## बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी के संग्रहण के संबंध में

45. कतिपय प्रकार की इमारती लकड़ी, जब तक कि उसके बारे में हक साबित नहीं कर दिया जाता सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी और तदनुसार संगृहीत की जा सकेगी—(1) बहती हुई, किनारे से लगी हुई, अटकी हुई या डूबी हुई सब इमारती लकड़ी—

ऐसे सब काष्ठ और इमारती लकड़ी जिस पर ऐसे चिह्न लगे हैं जो धारा 41 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, या जिस पर चिह्न अग्नि द्वारा या अन्यथा मिटाए, बदले या बिगाड़े गए हैं; और

ऐसे क्षेत्रों में, जैसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, सभी अचिह्नित काष्ठ और इमारती लकड़ी, जब तक कि कोई व्यक्ति इस अध्याय में यथा उपबंधित रूप में उन पर अपना अधिकार और हक सिद्ध नहीं कर दे, सरकार की सम्पत्ति समझी जाएगी।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी किसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाए गए किसी नियम के आधार पर संगृहीत करने का हकदार है, संगृहीत की जा सकेगी और ऐसे किसी डिपो में लाई जा सकेगी जिसे वन अधिकारी बहती हुई इमारती लकड़ी की प्राप्ति के लिए अधिसूचित करे।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इमारती लकड़ी के किसी वर्ग को इस धारा के उपबंध से छूट दे सकेगी

46. बहती हुई इमारती लकड़ी के दावेदारों को सूचना—धारा 45 के अधीन संगृहीत इमारती लकड़ी की लोक सूचना वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाएगी। ऐसी सूचना में इमारती लकड़ी का वर्णन अन्तर्विष्ट होगा, और उस इमारती लकड़ी पर दावा करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि तुम ऐसी सूचना की तारीख से दो मास से अन्यून कालावधि के अन्दर ऐसे दावे का लिखित कथन उपस्थित करो।

47. ऐसी इमारती लकड़ी पर किए गए दावे के बारे में प्रक्रिया—(1) जब कि यथापूर्वोक्त जैसा कोई कथन उपस्थित किया जाए तब वन अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझता है, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् या तो दावे को खारिज कर सकेगा या इमारती लकड़ी का परिदान दावेदार को कर सकेगा।

(2) यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी इमारती लकड़ी पर दावा किया जाता है, तो वन अधिकारी या तो ऐसे व्यक्तियों में से किसी को जिसे वह उसका हकदार समझता है, परिदत्त कर सकेगा या दावेदारों को सिविल न्यायालयों को निर्देशित कर सकेगा और ऐसे किसी न्यायालयों से उस इमारती लकड़ी के व्ययन संबंधी आदेश की प्राप्ति के लंबित रहने तक उसे अपने कब्जे में रख सकेगा।

(3) जिस किसी व्यक्ति का दावा इस धारा के अधीन खारिज किया जा चुका है वह अपने द्वारा दावाकृत इमारती लकड़ी का कब्जा वापिस लेने के लिए वाद ऐसी खारिज की तारीख से तीन मास के अन्दर संस्थित कर सकेगा, किन्तु कोई व्यक्ति ऐसी खारिजी या किसी इमारती लकड़ी के रोक रखे जाने या हटाने या इस धारा के अधीन अन्य व्यक्ति को इसके परिदान के कारण प्रतिकर या खर्चा सरकार से या किसी वन अधिकारी से वसूल नहीं करेगा।

(4) जब तक कि ऐसी कोई इमारती लकड़ी परिदत्त नहीं की गई है या इस धारा में यथा उपबंधित कोई वाद नहीं संस्थित किया गया है, तब तक ऐसी इमारती लकड़ी किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय की आदेशिका के अधीन नहीं होगी।

48. जिसका दावा नहीं किया गया उस इमारती लकड़ी का व्ययन—यदि यथा पूर्वोक्त ऐसा कोई कथन उपस्थित नहीं किया जाता या यदि दावेदार धारा 46 के अधीन निकाली गई सूचना द्वारा नियत रीति से या कालावधि के अन्दर दावा करने का लोप करता है या अपने द्वारा इस प्रकार दावा किए जाने और उस दावे के खारिज किए जाने पर ऐसी इमारती लकड़ी का कब्जा लेने के लिए धारा 47 द्वारा नियत और कालावधि के अन्दर वाद संस्थित करने का लोप करता है, तो ऐसी इमारती लकड़ी का स्वामित्व सरकार में या उस दशा में, जिसमें कि ऐसी इमारती लकड़ी धारा 47 के अधीन अन्य व्यक्ति को परिदत्त की गई है, ऐसे व्यक्ति में उन सब विवलयों से मुक्त होकर निहित होगा, जिन्हें उसने सृष्ट नहीं किया है।

49. ऐसी इमारती लकड़ी को हुए नुकसान के लिए सरकार और उसके अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे—किसी हानि या नुकसान के लिए, जो धारा 45 के अधीन संगृहीत किसी इमारती लकड़ी को हुई या हुआ है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी और जब तक कि कोई वन अधिकारी ऐसी हानि या नुकसान, उपेक्षा, विद्वेष या कपट से नहीं करता, तब तक वह ऐसी किसी हानि या नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।

50. Payments to be made by claimant before timber is delivered to him—No person shall be entitled to recover possession of any timber collected or delivered as aforesaid until he has paid to the Forest-officer or other person entitled to receive it such sum on account thereof as may be due under any rule made under section 51.

(a) in sub-section (1), for the words "may make rules", the words "may, by notification in the Official Gazette, make rules" shall be substituted;

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature."

as penalties for the contravention of any rules made under this section, imprisonment for a term which may extend to six months, or fine which may extend to five hundred rupees, or both.

alties—(1) The State Government may make rules to

sal of all timber mentioned in section 45;

used in salving and collecting timber;

collecting, moving, storing or disposing of such timber;

rs and other instruments to be used for marking such

as penalties for the contravention of any rules made

under this section, imprisonment for a term which may extend to six months, or fine which may

extend to five hundred rupees, or both.

#### CHAPTER IX

#### PENALTIES AND PROCEDURE

52. Seizure of property liable to confiscation—(1) When there is reason to believe that a forest-offence has been committed in respect of any forest-produce, such produce, together with all tools, boats, carts or cattle used in committing any such offence, may be seized by any Forest-officer or Police-officer.

(2) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized, and shall, as soon as may be, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made:

Provided that, when the forest-produce with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of Government, and the offender is unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to his official superior.

53. Power to release property seized under section 52—Any Forest-officer of a rank not inferior to that of a Ranger who, or whose subordinate, has seized any tools, boats, carts or cattle under section 52, may release the same on the execution by the owner thereof a bond for the production of the property so released, if and when so required, before the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made.

54. Procedure thereupon—Upon the receipt of any such report, the Magistrate shall, with all convenient despatch, take such measures as may be necessary for the arrest and trial of the offender and the disposal of the property according to law.

55. Forest produce tools, etc., when liable to confiscation—(1) All timber or forest-produce which is not the property of Government and in respect of which a forest-offence has been committed, and all a tools, boats, carts and cattle used in committing any forest-offence, shall be liable to confiscation.

(2) Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.

56. Disposal on conclusion of trial for forest offence, of produce in respect of which it was committed—When the trial of any forest-offence is concluded, any forest-produce in respect of which such offence has been committed shall, if it is the property of Government or has been confiscated, be taken charge of by a Forest-officer, and, in any other case, may be disposed of in such manner as the Court may direct.

1. / Ins / Subs by Act No 4 of 2005

50. इमारती लकड़ी के परिदान के पूर्व दावेदार द्वारा की जाने वाली अदायगी—जब तक कि कोई व्यक्ति ऐसी राशि, जो धारा 51 के अधीन बने किसी नियम के अधीन देय है, वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, जो उसे प्राप्त करने का हकदार है, उसके लिए नहीं चुका देता, तब तक वह उपरोक्त रूप में संगृहीत या परिदत्त इमारती लकड़ी का कब्जा लेने का हक्कार नहीं होगा।

51. नियम बनाने और शास्तियां विहित करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार निम्नलिखित बातों का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्—

- (क) धारा 45 में वर्णित सब इमारती लकड़ी का उद्धारण, संग्रहण और व्ययन;
- (ख) इमारती लकड़ी के उद्धारण और संग्रहण के लिए प्रयुक्त नावों का प्रयोग और रजिस्ट्रीकरण;
- (ग) ऐसी इमारती लकड़ी के उद्धारण, संग्रहण, स्थानान्तरण, भण्डार में रखने या व्ययन के लिए दी जाने वाली राशियां; और
- (घ) ऐसी इमारती लकड़ी को चिह्नित करने के लिए प्रयोग में आने वाले हथौड़े और अन्य उपकरणों का प्रयोग और रजिस्ट्रीकरण।

(2) राज्य सरकार इस धारा के अधीन बने किन्हीं नियमों के उल्लंघन के लिए, शास्तियों के रूप में, ऐसी अवधि का कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों, विहित कर सकेगी।

अध्याय 9

शास्तियां और प्रक्रिया

52. अधिहरणीय सम्पत्ति का अभिग्रहण—(1) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वन-उपज के बारे में कोई वन विषयक अपराध किया गया है, तब ऐसी उपज, सब औजारों, नावों, छकड़ों या पशुओं सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में हुआ है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदेशित करने वाला चिह्न लगाएगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा :

परन्तु जबकि वह वन-उपज, जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसा अपराध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाशक्य शीघ्र अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो वह पर्याप्त होगा।

53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति—रेंजर से अनिम्न पंक्ति वाला वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने कोई औजार, नावें, छकड़े या ढोर धारा 52 के अधीन अभिगृहीत किए हैं, उन्हें उनके स्वामी द्वारा ऐसे बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि यदि और जब मुझसे ऐसी अपेक्षा की जाएगी, तो और तब मैं इस प्रकार निर्मुक्त सम्पत्ति उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दूंगा जिसको उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है।

54. तदुपरि प्रक्रिया—ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट सब सुविधापूर्ण शीघ्रता से, ऐसे उपाय करेगा जो अपराधी की गिरफ्तारी और विचारण और सम्पत्ति का विधि के अनुसार व्ययन के लिए आवश्यक हों।

55. वन-उपज, औजार आदि कब अधिहरणीय होंगे—(1) ऐसी सब इमारती लकड़ी या वन-उपज, जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है, और जिसके विषय में वन-अपराध किया गया है, और ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब औजार, नावें, छकड़े और पशु अधिहरणीय होंगे।

(2) ऐसा अधिहरण, ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा।

56. वन अपराध के लिए हुए विचारण को समाप्त पर, उस वन-उपज का व्ययन जिसके संबंध में यह अपराध हुआ है—जब किसी वन विषयक अपराध का विचारण समाप्त हो जाता है, तब यदि वह वन-उपज, जिसके संबंध में ऐसा अपराध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है या उसका अधिहरण हुआ है, तो वह वन अधिकारी द्वारा अपने भारसाधन में ले ली जाएगी, और किसी अन्य दशा में, उसका ऐसी रीति से व्ययन किया जा सकेगा, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे।

57. Procedure when offender not known or cannot be found—When the offender is not known or cannot be found, the Magistrate may, if he finds that an offence has been committed, order the property in respect of which the offence has been committed to be confiscated and taken charge of by the Forest-officer, or to be made over to the person whom the Magistrate deems to be entitled to the same:

Provided that no such order shall be made until the expiration of one month from the date of seizing such property, or without hearing the person, if any, claiming any right thereto, and the evidence, if any, which he may produce in support of his claim.

58. Procedure as to perishable property seized under section 52—The Magistrate may, notwithstanding anything hereinbefore contained, direct the sale of any property seized under section 52 and subject to speedy and natural decay, and may deal with the proceeds as he would have dealt with such property if it had not been sold.

59. Appeal from orders under section 55, section 56 or section 57—The officer who made the seizure under section 52, or any of his official superiors, or any person claiming to be interested in the property so seized, may, within one month from the date of any order passed under section 55, section 56 or section 57, appeal therefrom to the Court to which orders made by such Magistrate are ordinarily appealable, and the order passed on such appeal shall be final.

60. Property when to vest in Government—When an order for the confiscation of any property has been passed under section 55 or section 57, as the case may be, and the period limited by section 59 for an appeal from such order has elapsed, and no such appeal has been preferred, or when, on such an appeal being preferred, the Appellate Court confirms such order in respect of the whole or a portion of such property, such property or such portion thereof, as the case may be, shall vest in the Government free from all incumbrances.

61. Saving of power to release property seized—Nothing herein before contained shall be deemed to prevent any officer empowered in this behalf by the State Government from directing at any time the immediate cease of any property seized under section 52.

62. Punishment for wrongful seizure—Any Forest-officer or Police-officer who vexatiously and unnecessarily seizes any property on pretence of seizing property liable to confiscation under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

63. Penalty for counterfeiting or defacing marks on trees and timber and for altering boundary-marks—Whoever, with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to cause wrongful gain as defined in the Indian Penal Code—

(a) knowingly counterfeits upon any timber or standing tree a mark used by Forest-officers to indicate that such timber or tree is the property of the Government or of some person, or that it may lawfully be cut or removed by some person; or

(b) alters, defaces or obliterates any such mark placed on a tree or on timber by or under the authority of a Forest-officer; or

(c) alters, moves, destroys or defaces any boundary-mark of any forest or waste-land to which the provisions of this Act are applied,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

57. जब अपराधी अज्ञात है, या पाया न जा सके; तब प्रक्रिया—जब कि अपराधी अज्ञात है या पाया नहीं जा सकता, तब यदि मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह यह आदेश दे सकेगा कि जिस सम्पत्ति के संबंध में अपराध हुआ है, वह अधिभूत की जाए और वन अधिकारी द्वारा अपने भारसाधन में ली जाए या उस व्यक्ति को दे दी जाए जिस मजिस्ट्रेट उसका हकदार समझता है :

परन्तु जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की तारीख से एक मास का अवमान न हो गया हो, या उस वर किसी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को, यदि कोई हो, और ऐस साध्य को, यदि कोई हो, जिसे वह अपने दावे के समर्थन में पेश करे सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

58. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत विनश्वर सम्पत्ति विषयक प्रक्रिया—मजिस्ट्रेट धारा 52 के अधीन अभिगृहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिए इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निदेश दे सकेगा और आगमों से इस प्रकार बरत सकेगा, जिस प्रकार वह ऐसी सम्पत्ति से तब बरतता जबकि वह बेची न गई होती।

59. धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन आदेशों की अपील—वह अधिकारी, जिसने धारा 52 के अधीन अभिग्रहण किया है, या उसके पदीय वरिष्ठों में से कोई या इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति में हितवद् होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 55, धारा 56 या धारा 57 के अधीन पारित किए गए किसी आदेश को सारीख से एक मास के अन्दर, उस आदेश को अपील उस न्यायालय में कर सकेगा जिसमें ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों की अपील मामूली तौर से होती है, और ऐसी अपील पर पारित आदेश अन्तिम होगा।

60. सम्पत्ति कब सरकार में निहित होगी—जबकि, यथास्थिति, धारा 55 या धारा 57 के अधीन किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए आदेश पारित किया जा चुका है, और ऐसे आदेश की अपील के लिए धारा 59 द्वारा परिसीमित कलावधि बीत गई है, और ऐसी कोई अपील नहीं की गई है, या जबकि ऐसी अपील के लिए जाने पर अपील न्यायालय, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी प्रभाग के बारे में, ऐसे आदेश की पुष्टि करता है, तो, यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका ऐसा कोई प्रभाग सब विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार में निहित होगा।

61. अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति की व्यावृत्ति—इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात की बावत यह नहीं समझा जाएगा कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त करने का आदेश देने से निवारित करती है जो धारा 52 के अधीन अभिगृहीत की गई है।

62. दोषपूर्ण अभिग्रहण के लिए दण्ड—जो कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी तंग करने के लिए और अनावश्यक रूप से किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस बहाने करता है कि ऐसी अभिगृहीत सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन अधिग्रहणीय है, वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

63. वृक्षों और इमारती लकड़ी पर चिह्नों के कूटकरण करने और उन्हें विरूपित करने और झीना चिह्नों को बदलने के लिए शास्ति—जो लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति पहुंचाने या भारतीय दण्ड संहिता में यथापरिभाषित दोष लाभ के आशय से—

(क) जानबूझकर किसी इमारती लकड़ी या खड़े वृक्ष पर किसी ऐसे चिह्न का कूटकरण करेगा जिसे वन अधिकारी यह उपदेशित करने के लिए प्रयोग करते हैं कि ऐसी इमारती लकड़ी या वृक्ष सरकार या किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है, या उसे किसी व्यक्ति द्वारा विधितः काटा या हटाया जा सकेगा; या

(ख) किसी वन अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी वृक्ष या इमारती लकड़ी पर लगे किसी ऐसे चिह्न को बदलेगा, विरूपित करेगा या मिटाएगा;

(ग) किसी वन या वंजर भूमि के, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं, जो माचिह्न को बदलेगा, सरकाएगा, नष्ट करेगा या विरूपित करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

64. Power to arrest without warrant—(1) Any Forest-officer or Police-officer may, without orders from a Magistrate and without a warrant, arrest any person against whom a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any forest-offence punishable with imprisonment for one month or upwards.

(2) Every officer making an arrest under this section shall, without unnecessary delay and subject to the provisions of this Act as to release on bond, take or send the person arrested before the Magistrate having jurisdiction in the case, or to the officer in charge of the nearest police station.

(3) Nothing in this section shall be deemed to authorise such arrest for any act which is an offence under Chapter IV unless such act has been prohibited under clause (c) of section 30.

65. Power to release on a bond a person arrested—Any Forest-officer of a rank not inferior to that of a Ranger, who, or whose subordinate, has arrested any person under the provisions of section 64, may release such person on his executing a bond to appear, if and when so required, before the Magistrate having jurisdiction in the case, or before the officer in charge of the nearest police station.

66. Power to prevent commission of offence—Every Forest-officer and Police-officer shall prevent, and may interfere for the purpose of preventing, the commission of any forest-offence.

67. Power to try offences summarily—The District Magistrate or any Magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the State Government may try summarily, under the Code of Criminal Procedure, 1898, any forest-offence punishable with imprisonment for a term not exceeding six months, or fine not exceeding five hundred rupees, or both.

68. Power to compound offences—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, empower a Forest officer—

(a) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any forest-offence, other than an offence specified in section 62 or section 63, a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed, and

(b) when any property has been seized as liable to confiscation, to release the same on payment of the value thereof as estimated by such officer.

(2) On the payment of such sum of money, or such value, or both, as the case may be, to such officer, the suspected person, if in custody, shall be discharged, the property if any seized shall be released, and no further proceedings shall be taken against such person or property.

(3) A Forest-officer shall not be empowered under this section unless he is a Forest-officer of a rank not inferior to that of a Ranger and is in receipt of a monthly salary amounting to at least one hundred rupees, and the sum of money accepted as compensation under clause (a) of sub-section (1) shall in no case exceed the sum of fifty rupees.

69. Presumption that forest-produce belongs to Government—When in any proceedings taken under this Act, or in consequence of anything done under this Act, a question arises as to whether any forest-produce is the property of the Government, such produce shall be presumed to be the property of the Government until the contrary is proved.

64. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति—(1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह व्यक्तिगत संदेह विद्यमान है कि वह एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन विषयक अपराध से सम्पन्न है, कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के और किसी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी किसी अनावश्यक विलम्ब के बिना और बंधपत्र पर निर्मुक्त करने संबंधी अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के, जिसे इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है, समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी के पास ले जाएगा या भेजेगा।

(3) इस धारा की किसी बात की बावत यह नहीं समझा जाएगा कि यह ऐसे कार्य के लिए, जो अध्याय 4 के अधीन अपराध है, तब तक ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करती, जब तक कि धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा कार्य प्रतिषिद्ध न कर दिया गया हो।

65. किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बंधपत्र पर निर्मुक्त करने की शक्ति—रेंजर से अनिम्न पंक्ति का कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 64 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को उस द्वारा यह बंधपत्र निष्पादित कर दिए जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि यदि और यदि ऐसी अपेक्षा की जाएगी, तो और तब म मामले के बारे में अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के समक्ष, उपसजात हो जाऊंगा।

66. अपराधों का किया जाना निवारित करने की शक्ति—हर वन अधिकारी और पुलिस अधिकारी किसी वन विषयक अपराध को किए जाने को निवारित करेगा और उसे निवारित करने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा। /

67. अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति—जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1989 का 5) के अधीन किसी ऐसे वन विषयक अपराध का विचारण संक्षिप्त कर सकेगा, जो छह मास से अनधिक कारावास या पांच सौ रुपए से अनधिक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय है।

68. अपराधों का शसन करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा व्यक्तिगत संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत कर ले, और

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिगृहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य को दे दिए जाने पर उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दें।

(2) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या मूल्य या दोनों के दे दिए जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और वह सम्पत्ति, यदि कोई हो, जो अभिगृहीत की गई है, निर्मुक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी वन अधिकारी को उस दशा में ही शक्ति प्रदत्त की जाएगी जबकि वह रेंजर से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी नहीं है और कम से कम सौ रुपए मासिक वेतन पाता है, और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धनराशि किसी भी दशा में पचास रुपए से अधिक नहीं है।

69. यह उपधारणा की वन-उपज सरकार की है—जबकि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही में, या इस अधिनियम या के अधीन किए गए किसी कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या कोई वन-उपज सरकार की सम्पत्ति है या नहीं, तब, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, ऐसी उपज के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह सरकार की सम्पत्ति है।

CHAPTER X

CATTLE-TRESPASS

70. Cattle-trespass Act, 1871, to apply—Cattle trespassing in a reserved forest or in any portion of a protected forest which has been lawfully closed to grazing shall be deemed to be cattle doing damages to a public plantation within the meaning of section 11 of the Cattle-trespass Act, 1871 (1 of 1871,) and may be seized and impounded as such by any Forest-officer or Police-officer.

71. Power to alter fines fixed under that Act—The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that, in lieu of the fines fixed under section 12 of the Cattle-trespass Act, 1871 (1 of 1871,) there shall be levied for each head of cattle impounded under section 70 of this Act such fines as it thinks fit, but not exceeding the following, that is to say :—

|   |              |
|---|--------------|
| For each elephant   | ten rupees.  |
| For each buffalo or camel   | two rupees.  |
| For each horse, mare-gelding, pony, colt, filly, mule bull, bullock<br>cow, or heifer | one rupee.   |
| For each calf, ass, pig, ram, ewe, sheep, lamb, goat or kid                           | eight annas. |

CHAPTER XI

OF FOREST-OFFICERS

72. State Government may invest Forest-officers with certain powers—(1) The State Government may invest any Forest-officer with all or of the following powers, that is to say :—

- (a) power to enter upon any land and to survey, demarcate and mark a map of the same
- (b) the powers of a Civil Court to compel the attendance of witnesses and the production of documents and material objects;
- (c) power to issue a search-warrant under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898) ; and
- (d) power to hold an inquiry into forest-offences, and, in the course of such inquiry, to receive and record evidence.

(2) Any evidence recorded under clause (d) of sub-section (1) shall be admissible in any subsequent trial before a Magistrate, provided that it has been taken in the presence of the accused person.

73. Forest officers deemed public servants—All Forest-officers shall be deemed to be public servants within the meaning of the Indian Penal Code (45 of 1860).

74. Indemnity for acts done in good faith—No suit shall lie against any public servant for anything done by him in good faith under this Act.

75. Forest-officers not to trade—Except with the permission in writing of the State Government, no Forest-officer shall, as principal or agent, trade in timber or other forest-produce, or be or become interested in any lease of any forest or in any contract for working any forest, whether in or outside [the territories to which this Act extends].



अध्याय 10

पशु अतिचार

70. पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का लागू होना—किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग में, जो विधिपूर्वक चरागाह के लिए बन्द किया गया है अतिचार करने वाले पशुओं को पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 11 के अर्थ में लोक वागान को नुकसान करने वाले पशु समझा जाएगा और किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें अभिगृहीत और परिवद्ध किया जा सकेगा।

71. उस अधिनियम के अधीन नियत जुर्मानों को बदलने की शक्ति—राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम 1871, (1871 का 1) की धारा 12 के अधीन नियत जुर्मानों के बदले में, इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिवद्ध हर पशु के लिए ऐसा जुर्माना उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि वह ठीक समझती है, किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :—

|   |           |
|---|-----------|
| हर हाथी के लिए                                      | दस रूपए।  |
| हर भैंस या ऊट के लिए                                | दो रूपए।  |
| हर घोड़े, खस्ती पशु, टट्टू, बछड़े, बछीरो, खच्चर,    |           |
| सांड, बैल, गाय या बछड़ी के लिए                      | एक रूपया। |
| हर बछड़े, गधे, सूअर, मेढे, मेढी, भेड़, मेमने, बकरी, |           |
| या उसके मेमनों के लिए                               | आठ आने।   |

अध्याय 11

वन अधिकारियों के संबंध में

72. राज्य सरकार वन अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित कर सकेगी—(1) राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्नलिखित सत्र शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगी, अर्थात् :—

- (क) किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन और नक्शा तैयार करने की शक्ति;
- (ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिए और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने वाली सिविल न्यायालय की शक्तियां ;
- (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन तलाशी-वारंट निकालने की शक्ति; और
- (घ) वन विषयक अपराधों की जांच करने और ऐसी जांच के दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने किसी पक्षवात्वर्ती विचारणा में ग्राह्य होगा, परंतु यह तब जबकि अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में वह साक्ष्य लिया गया हो।

73. वन अधिकारियों को लोक सेवक समझा जाएगा—सभी वन अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

74. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए परित्राण—इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद नहीं चलाया जाएगा।

75. वन अधिकारी व्यापार नहीं करेंगे—राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई वन अधिकारी, मांतिक या अभिकर्ता के रूप में इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज का व्यापार नहीं करेगा, या किसी वन के पट्टे में या किसी वन के ठेके में हितबद्ध नहीं होगा या बनेगा या चाहे ये बातें '[उन राज्यक्षेत्रों के, जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है,] अन्दर हों या बाहर हों।

1. विधि अनुकूलन (सं० 3) अधिनियम, 1956 द्वारा "भाग क राज्य और भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## CHAPTER XII

## SUBSIDIARY RULES

76. Additional powers to make rules—The State Government may make rules—

- (a) to prescribe and limit the powers and duties of any Forest-officer under this Act;
- (b) to regulate the rewards to be paid to officers and informers out of the proceeds of fines and confiscation under this Act;
- (c) for the preservation, reproduction and disposal of trees and timber belonging to Government, but grown on lands belonging to or in the occupation of private persons; and
- (d) generally, to carry out the provisions of this Act.

~~77. Penalties for breach of rules—Any person contravening any rule under this Act, for the contravention of which no special penalty is provided, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or fine which may extend to five hundred rupees, or both.~~

78. Rules when to have force of law—All rules made by the State Government under this Act shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon, so far as they are consistent with this Act, have effect as if enacted therein.

## CHAPTER XIII

## MISCELLANEOUS

79. Persons bound to assist Forest-officers and Police-officers—(1) Every person who exercises any right in a reserved or protected forest, or who is permitted to take any forest-produce from, or to cut and remove timber or to pasture cattle in, such forest, and every person who is employed by any such person in such forest, and

Every person in any village contiguous to such forest who is employed by the Government or who receives emoluments from the Government for services to be performed to the community

shall be bound to furnish without unnecessary delay to the nearest Forest-officer or Police-officer any information he may possess respecting the commission of, or intention to commit, any forest-offence, and shall forthwith take steps, whether so required by any Forest-officer or Police-officer or not,—

- (a) to extinguish any forest fire in such forest of which he has knowledge or information;
  - (b) to prevent by any lawful means in his power any fire in the vicinity of such forest of which he has knowledge or information from spreading to such forest,
- and shall assist any Forest-officer or Police-officer demanding his aid—and
- (c) in preventing the commission in such forest of any forest-offence; and
  - (d) when there is reason to believe that any such offence has been committed in such forest in discovering and arresting the offender.

अध्याय 12

संबन्धी नियम

76. नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियाँ-राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी-

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी वन अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों को विहित और सीमित करने के लिए;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जुर्माना और अधिहरण के आगमों में से अधिकारियों और शेरियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का विनियमन करने के लिए;

(ग) सरकार के वृक्षों और इमारती लकड़ी का, या प्रोडक्ट व्यक्तियों की भूमियों में उगे हुए हैं या उनके अधिभोग में हैं, संरक्षण, पुनःस्थापन और व्ययन करने के लिए; और

(घ) साधारणतः इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए।

77. नियमों के भंग के लिए शास्तियाँ-इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को, जिसके उल्लंघन के लिए कोई विशेष शास्ति उपबंधित नहीं है, भंग करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

78. नियमों को फल विधि का बल प्राप्त होता है- इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और तदुपरि, जहां तक वे इस अधिनियम से सुसंगत हैं, वहां तक वे इस प्रकार प्रभावशील होंगे, मानो वे, इसमें अधिनियमित हुए हैं।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

79. वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सहायता देने के लिए आवद्ध व्यक्ति-(1) ऐसा हर व्यक्ति, जो किसी आरक्षित या संरक्षित वन में किसी अधिकार का प्रयोग करता है, या जो ऐसे वन से किसी वन-उपज को लेने, या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमें ढोर चराने के लिए अनुज्ञात है, और हर व्यक्ति, जो ऐसे वन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित है,

और ऐसे वन से समीपस्थ किसी ग्राम का हर व्यक्ति, जो सरकार द्वारा नियोजित है या जो समुदाय के प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए सरकार से उपलब्धियां पाता है,

ऐसी जानकारी, जो किसी वन विषयक अपराध के किए जाने के आशय के विषय में उसके पास है, निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना देने के लिए आवद्ध होगा और-

(क) ऐसे वन में किसी वन अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञात या जानकारी है, बुझाने के लिए;

(ख) ऐसे वन के समीप में किसी अग्नि को, जिसका उसे ज्ञान या जानकारी है, अपनी शक्ति के अनुसार किन्हीं वैध साधनों द्वारा ऐसे वन में फैल जाने से रोकने के लिए,

तुरन्त कार्यवाही करेगा चाहे उससे किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो या नहीं, और

(ग) ऐसे वन में वन विषयक अपराध को रोकने और

(घ) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध किया गया है, तब अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में,

उसकी सहायता मांगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की सहायता करेगा।

अध्याय 12

सम्बन्धगी नियम

76. नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियाँ—राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

- (क) इस अधिनियम के अधीन किसी वन अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों को विहित और सीमित करने के लिए;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन जुर्माना और अधिहरण के आगमों में से अधिकारियों और भेदियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का विनियमन करने के लिए ;
- (ग) सरकार के वृक्षों और इमारती लकड़ी का, जो प्राइवेट व्यक्तियों की भूमियों में उगे हुए हैं या उनके अधिभाग में हैं, संरक्षण, पुनरुत्पादन और व्ययन करने के लिए; और
- (घ) साधारणतः इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए।

77. नियमों के भंग के लिए शास्तियाँ—इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को, जिसके उल्लंघन के लिए कोई विशेष शास्ति उपबंधित नहीं है, भंग करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

78. नियमों को कम विधि का बल प्राप्त होता है— इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और तदुपरि, जहां तक वे इस अधिनियम से सुसंगत हैं, वहां तक वे इस प्रकार प्रभावशील होंगे, मानों वे, इसमें अधिनियमित हुए हैं।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

79. वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को सहायता देने के लिए आवद्ध व्यक्ति—(1) ऐसा हर व्यक्ति, जो किसी आरक्षित या संरक्षित वन में किसी अधिकार का प्रयोग करता है, या जो ऐसे वन से किसी वन-उपज को लेने, या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमें ढोर चराने के लिए अनुज्ञात है, और हर व्यक्ति, जो ऐसे वन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित है,

और ऐसे वन से समीपस्थ किसी ग्राम का हर व्यक्ति, जो सरकार द्वारा नियोजित है या जो समुदाय के प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिए सरकार से उपलब्धियां पाता है,

ऐसी जानकारी, जो किसी वन विषयक अपराध के किए जाने के आशय के विषय में उसके पास है, निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना देने के लिए आवद्ध होगा और—

- (क) ऐसे वन में किसी वन अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञात या जानकारी है, बुझाने के लिए;
- (ख) ऐसे वन के सामीप्य में की किसी अग्नि को, जिसका उसे ज्ञान या जानकारी है, अपनी शक्ति के अनुसार किन्हीं वैध साधनों द्वारा ऐसे वन में फैल जाने से रोकने के लिए, सुरक्षा जायगी करके जगह जगह घूमना पड़ेगा;
- (ग) ऐसे वन में वन विषयक अपराध को रोकने और
- (घ) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध किया गया है, तब अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में,

उसकी सहायता मांगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को सहायता करेगा।

(2) Any person who, being bound so to do, without lawful excuse (the burden of proving which shall lie upon such person) fails—

(a) to furnish without unnecessary delay to the nearest Forest-officer or Police-officer any information required by sub-section (1);

(b) to prevent, as required by sub-section (1), to extinguish any forest fire in a reserved or protected forest;

(c) to prevent, as required by sub-section (1), any fire in the vicinity of such forest from spreading to such forest; or

(d) to assist any Forest-officer or Police-officer demanding his aid in preventing the commission in such forest of any forest-offence, or, when there is reason to believe that any such offence has been committed in such forest, in discovering and arresting the offender;

shall be punishable with imprisonment for a term which extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

**80. Management of forests the joint property of Government and other persons—**(1) If the Government and any person be jointly interested in any forest or waste-land, or in the whole or any part of the produce thereof, the State Government may either—

(a) undertake the management of such forest, waste-land or produce, accounting to such person for his interest in the same; or

(b) issue such regulations for the management of the forest, waste-land or produce by the person so jointly interested as it deems necessary for the management thereof and the interests of all parties therein.

(2) When the State Government undertakes under clause (a) of sub-section (1) the management of any forest, waste-land or produce, it may, by notification in the Official Gazette, declare that any of the provisions contained in Chapters II and IV shall apply to such forest, waste-land or produce, and thereupon such provisions shall apply accordingly.

**81. Failure to perform service for which a share in produce of Government forest is employed—**If any person be entitled to a share in the produce of any forest which is the property of Government or over which the Government has proprietary rights or to any part of the forest-produce of which the Government is entitled upon the condition of duly performing any service connected with such forest, such share shall be liable to confiscation in the event of the fact being established to the satisfaction of the State Government that such service is no longer so performed:

Provided that no such share be confiscated until the person entitled there to, and the evidence, if any, which he may produce in proof of the due performance of such service, have been heard by an officer duly appointed in that behalf by the State Government.

**82. Recovery of money due to Government—**All money payable to the Government under this Act, or under any rule made under this Act, or on account of the price of any forest-produce, or of expenses incurred in the execution of this Act in respect of such produce, may, if not paid when due, be recovered under the law for the time being in force as if it were an arrear of land-revenue.

**83. Lien on forest-produce for such money—**(1) When any such money is payable for or in respect of any forest-produce, the amount thereof shall be deemed to be a first charge on such produce, and such produce may be taken possession of by a Forest-officer until such amount has been paid.

(2) If such amount is not paid when due, the Forest-officer may sell such produce by public auction, and the proceeds of the sale shall be applied first in discharging such amount.

(3) The surplus, if any, if not claimed within two months from the date of the sale by the person entitled thereto, shall be forfeited to Government.

(2) जो कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए आत्रद्ध होते हुए विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना (जिसे सावित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) —

(क) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित जानकारी निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना नहीं देगा,

(ख) किसी आरक्षित या संरक्षित वन में वन अग्नि को बुझाने के लिए उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित कार्य-वाही नहीं करेगा;

(ग) ऐसे वन के सामीप्य में कि किसी अग्नि को ऐसे वन में फैलने से नहीं रोकेंगे जैसा कि उप धारा (1) द्वारा अपेक्षित है; या

(घ) ऐसे वन में किसी वन अपराध का किया जाना रोकने में या उस दशा में, जिसमें कि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध हुआ है, अपराधी का पता चलाने और उसे गिरफ्तार करने में उसकी सहायता मांगी जाने पर किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की मदद नहीं करेगा,

वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी, या जुमाने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

80. उन वनों का प्रबंध जो सरकार और अन्य व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति है—(1) यदि सरकार और कोई व्यक्ति किसी वन या बंजर भूमि में, या उसकी पूरी उपज या उसके किसी भाग में संयुक्ततः हितबद्ध हैं, तो राज्य सरकार या तो—

(क) उसमें ऐसे व्यक्ति को उसके हित के लिए लेखा देते रहते हुए, ऐसे वन, बंजर भूमि, या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी; या

(ख) इस प्रकार संयुक्ततः हितबद्ध व्यक्ति द्वारा वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबंध करने के लिए ऐसे विनियम निकाल सकेगी जैसे वह उसके प्रबंध और उसमें के सब पक्षकारों के हितों में आवश्यक समझती है।

(2) जबकि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सरकार किसी वन, बंजर भूमि या उपज का प्रबंध अपने हाथ में लेती है, तब वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे वन, बंजर भूमि या उपज का अध्याय 2 और 4 में अन्तर्विष्ट कोई उपबंध लागू होंगे और तदुपरि ऐसे उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

81. ऐसी सेवा करने में असफलता जिस के लिए सरकारी वन में की उपज के किसी अंश का उपभोग किया जाता है—यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसे वन की उपज का, जो सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार का साम्प्रतिक अधिकार है या वन-उपज के किसी भाग के, जिसकी सरकार हकदार है, अंश का इस शर्त पर हकदार है, कि ऐसे वन से संबंधित सेवा वह सम्यक् रूप से करता रहे, तो राज्य सरकार का समाधान कर देने वाले रूप में वह तथ्य सिद्ध हो जाने की दशा में कि ऐसी सेवा अब नहीं की जा रही है, ऐसा अंश अधिहरणीय हो जाएगा।

परन्तु जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा उसके हकदार व्यक्ति की, और ऐसे साध्य की, यदि कोई हो, जिसे वह ऐसी सेवा के सम्यक् रूप से किए जाने के सबूत में पेश करे, सुनवाई न की गई हो, तब तक ऐसे किसी अंश का अधिहरण नहीं होगा।

82. सरकार को शोध्य धन की बसुली—इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन या किसी वन-उपज की कीमत या ऐसी उपज के संबंध में इस अधिनियम के निष्पादन में उपगत व्ययों के कारण सरकार को देय सब धन, यदि शोध्य होने पर न दिए गए हों, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे बसूल किए जा सकेंगे मानो वे भू-राजस्व की वकाया हों।

83. ऐसे धन के लिए वन-उपज पर धारणाधिकार—(1) जबकि किसी वन-उपज के लिए या उसके संबंध में ऐसा कोई धन देय है, तब उसकी राशि ऐसी उपज पर प्रथम भार समझी जाएगी, और जब तक कि ऐसी राशि चुका नहीं दी जाए तब तक के लिए ऐसी उपज वन अधिकारी द्वारा अपने कब्जे में ली जा सकेगी।

(2) यदि जब यह राशि शोध्य होती है तब चुका नहीं दी जाती, तो वन अधिकारी ऐसी उपज का लोक नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगा और विक्रय के आगमों को प्रथमतः ऐसी राशि को चुकाने में प्रयुक्त किया जाएगा।

(3) यदि कोई अतिशेष रहे, तो उस दशा में जिसमें कि उसके लिए हकदार व्यक्ति द्वारा दावा विक्रय की तारीख से दो मास के अन्दर नहीं किया जाता, वह सरकार की सम्पत्ति हो जाएगा।

84. इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित भूमि की बाबत यह समझा जाना कि उसकी आवश्यकता भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन लोक प्रयोजन के लिए है—जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए कोई भूमि अपेक्षित है, तो ऐसी भूमि के बारे में यह समझा जाएगा कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 4 के अर्थ के अन्दर उसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

85. बन्धपत्र के अधीन शोष्य शास्तियों की वसूली—जबकि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसार या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में, किसी बंधपत्र या लिखत द्वारा किसी कर्तव्य या कार्य के पालन के लिए, अपने को आवद्ध करता है, या किसी बंधपत्र या लिखत द्वारा प्रसविदा करता है कि मैं या मैं और मेरे सेवक और अधिकतरिण किसी कार्य से प्रवरित रहेंगे, तब भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे बंधपत्र या लिखत में जो राशि उसकी शर्तों के भंग होने की दशा में दी जाने वाली राशि के रूप में वर्णित है, ऐसे भंग होने की दशा में उस समस्त राशि को ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह राशि भू-राजस्व की वकाया हो।

[85क. केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के लिए व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई बात, किसी राज्य सरकार को, उस राज्य में निहित न हुई सम्पत्ति के संबंध में कोई आदेश देने या कोई कार्य करने के लिए या सम्पूक्त सरकार की सम्मति के बिना केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के किन्हीं अधिकारों पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।]

86. [निरसन] निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1947 (1948 का 2) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

अनुसूची—[अधिनियमितियां निरसित]—निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1947 (1948 का 2) की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा निरसित।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती धारा 85 क के स्थान पर प्रतिस्थापित। जिसे भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा प्रस्तुत किया गया था।  
87-M/J(N) 619 Mof LJ&CA—3,200—13-12-90—GIPS

93

84. Land required under this Act to be deemed to be needed for a public purpose under the Land Acquisition Act, 1894—Whenever it appears to the State Government that any land is required for any of the purposes of this Act, such land shall be deemed to be needed for a public purpose within the meaning of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894).

85. Recovery of penalties due under bond—When any person, in accordance with any provision of this Act, or in compliance with any rule made thereunder, binds himself by any bond or instrument to perform any duty or act or covenants by any bond or instrument that he, or that he and his servants and agents will abstain from any act, the whole sum mentioned in such bond or instrument as the amount to be paid in case of a breach of the conditions thereof may, notwithstanding anything in section 74 of the Indian Contract Act, 1872, (9 of 1872) be recovered from him in case of such breach as if it were an arrear of land revenue.

[85A. Saving for rights of Central Government—Nothing in this Act shall authorise a Government of any State to make any order or do anything in relation to any property not vested in that State or otherwise prejudice any rights of the Central Government or the Government of any other State without the consent of the Government concerned.]

86. [Repeals.] Rep. by Repealing and Amending Act, 1947 (2 of 1948), s. 2 and Sch. THE SCHEDULE—[Enactments Repealed.] Rep. by s. 2 and sch., *ibid.*

<sup>1</sup> Subs. by the A. O. 1950, for the former s. 85A which had been ins. by the A. O. 1937.



# प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2004

(2005 का अधिनियम संख्यांक 4)

[11 जनवरी, 2005]

नियमों और अन्य प्रत्यायोजित विधान के प्रकाशन और उनको रखे जाने के बारे में अधीनस्थ विधायन संबंधी समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कतिपय अधिनियमों का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित, हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2004 है।
2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को उस विस्तार तक और उस रीति से, जो इसके तीसरे स्तंभ में उल्लिखित हैं, संशोधित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

अनुसूची  
(धारा 2 देखिए)

| क्र. सं. | संक्षिप्त नाम                                  | संशोधन  |
|----------|--|---|
| 1.       | पंजाब विधि अधिनियम,<br>1872 (1872 का 4)        | धारा 50क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—<br>“(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बचाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।”। |
| 2.       | मध्य प्रांत विधि अधिनियम,<br>1875 (1875 का 20) | धारा 10 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—  |

नि बनाया  
विनियम  
संसद् के  
ऐसी कुल  
। जो एक  
भेक सत्रों  
यदि उस  
के ठीक  
सदन उस  
में कोई  
या दोनों  
कि वह  
बनाया  
देश या  
ल ऐसे  
का कोई  
नियम,  
निष्प्रभाव  
सात की  
गा।"।

पश्चात्  
जाएगी,

बनाया  
नियम

बनाया  
नियम  
द के  
कुल  
। एक  
सत्रों  
उस  
ठीक  
। उस  
कोई  
दोनों  
वह  
नाया  
। या  
ऐसे  
कोई  
देश  
। से  
की  
।

| क्र. सं. | संक्षिप्त नाम   | संशोधन  |
|----------|---|---|
| 24.      | मुसलमान वक्फ अधिनियम,<br>1923 (1923 का 42)  | धारा 11 में, उपधारा (2) के पश्चात्<br>निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—<br><br>“(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य<br>सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए<br>जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल<br>के समक्ष रखा जाएगा।”।  |
| 25.      | भारतीय वन अधिनियम,<br>1927 (1927 का 16)   | धारा 51 में,—<br><br>(क) उपधारा (1) में, “नियम बना सकेगी”<br>शब्दों के स्थान पर “राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम<br>बना सकेगी” शब्द रखे जाएंगे;<br><br>(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित<br>उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—<br><br>“(1क) इस अधिनियम के अधीन राज्य<br>सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए<br>जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल<br>के समक्ष रखा जाएगा।”।     |
| 26.      | मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन<br>अधिनियम, 1933<br>(1933 का 23)  | धारा 28 में,—<br><br>(क) उपधारा (1) में, “नियम बना सकेगी”<br>शब्दों के स्थान पर “और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा<br>नियम बना सकेगी” शब्द रखे जाएंगे;<br><br>(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित<br>उपधारा अन्त में जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—<br><br>“(3) इस अधिनियम के अधीन राजस्व<br>बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने<br>के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के<br>समक्ष रखा जाएगा।”। |
| 27.      | गन्ना अधिनियम, 1934<br>(1934 का 15)   | धारा 8 को उसकी उपधारा (1) के रूप में<br>पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार<br>पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित<br>उपधारा अंत में जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—<br><br>“(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य<br>सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए<br>जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल<br>के समक्ष रखा जाएगा।”।   |
| 28.      | युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में<br>गोला चलाने तथा तोप दागने<br>के अभ्यास अधिनियम, 1938<br>(1938 का 5) | धारा 13 को उसकी उपधारा (1) के रूप में<br>पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार<br>पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित<br>उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—  |